पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–18] रुड़की, शनिवार, दिनांक 23 दिसम्बर, 2017 ई0 (पौष 02, 1939 शक सम्वत्) [संख्या–51

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	863–870	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	753–840	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	169	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग

संशोधन/विज्ञप्ति

24 अक्टूबर, 2017 ई0

संख्या 1910/XLI-1/17–104/14 टी0सी0IV–प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रवक्ता भौतिकी के रिक्त पदों पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की संस्तुति के फलस्वरूप निदेशक, प्राविधिक शिक्षा के पत्रांक 828/नि0प्रा0शि0/नियु0काउ0/2017–18, दिनांक 22–08–2017 के क्रम में विज्ञप्ति/नियुक्ति संख्या 1655/XLI-1/17-104/14 टीसी IV दिनांक 11–09–2017 द्वारा नियुक्ति/तैनाती दी गयी।

2. रिट याचिका संख्या 465/2017 सुप्रिया रावत बनाम राज्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 07–10–2017 के क्रम में विज्ञप्ति/नियुक्ति संख्या 1655/XLI-1/17-104/14 टीसी IV दिनांक 11–09–2017 में आंशिक संशोधन करते हुए याचीकर्ता को प्रवक्ता भौतिकी वेतनमान (रू 15600–39100, ग्रेड पे–5400) के पद पर दिनांक 29–05–2017 को आयोजित काउन्सिलिंग के आधार पर तालिका के कॉलम–3 के अनुसार उल्लिखित राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान में अनन्तिम रूप सें कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है:–

क्र0सं0	अभ्यर्थी का नाम/गृह जनपद	तैनाती स्थल
1	2	3
1.	सुश्री सुप्रिया रावत/टिहरी गढ़वाल	रा0पा0 बड़कोट, उत्तरकाशी

3. उक्त अनुमति रिट याचिका संख्या 465/2017 सुप्रिया रावत बनाम राज्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

4. सम्बन्धित प्रवक्ता को निर्देशित किया जाता है कि वह इस विज्ञप्ति पत्र जारी होने की तिथि से 15 दिन के अन्दर अपनी योगदान आख्या सम्बन्धित संस्थान में उपलब्ध कराते हुए प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, श्रीनगर एवं शासन को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

5. शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध विज्ञप्ति/नियुक्ति संख्या 1655/XLI-1/17-104/14 टीसी IV दिनांक 11–09–2017 के अनुसार यथावत् बने रहेंगे।

संशोधन/विज्ञप्ति

02 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 1924/XLI-1/17–104/14 टी0सी0IV–प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रवक्ता भौतिकी के रिक्त पदों पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की संस्तुति के फलस्वरूप निदेशक, प्राविधिक शिक्षा के पत्रांक 828/नि0प्रा0शि0/नियु0काउ0/2017–18, दिनांक 22–08–2017 के क्रम में विज्ञप्ति/नियुक्ति संख्या 1655/XLI-1/17-104/14 टीसी IV दिनांक 11–09–2017 द्वारा नियुक्ति/तैनाती की गयी।

2. रिट याचिका संख्या 484/2017 किशोर चन्द्र जोशी बनाम राज्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 11–10–2017 के क्रम में विज्ञप्ति/नियुक्ति संख्या 1655/XLI-1/17-104/14 टीसी IV दिनांक 11–09–2017 में आंशिक संशोधन करते हुए याचीकर्ता को प्रवक्ता भौतिकी वेतनमान (रू15600–39100, ग्रेड पे–5400) के पद पर दिनांक 29–05–2017 को आयोजित काउन्सिलिंग के आधार पर तालिका के कॉलम–3

के अनुसार अनन्तिम रूप से कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है:–

क्र0सं0	अभ्यर्थी का नाम/गृह जनपद	तैनाती स्थल
1	2	3
1.	श्री किशोर चन्द्र जोशी/नैनीताल	रा0पा0 शक्तिफार्म, ऊधमसिंह नगर

3. उक्त अनुमति रिट याचिका संख्या 484/2017 किशोर चन्द्र जोशी बनाम राज्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन् होगी।

4. सम्बन्धित प्रवक्ता को निर्देशित किया जाता है कि वह इस विज्ञप्ति पत्र जारी होने की तिथि से 15 दिन के अन्दर अपनी योगदान आख्या सम्बन्धित संस्थान में उपलब्ध कराते हुए प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, श्रीनगर एवं शासन को अवगत करना सुनिश्चित करेंगे।

5. शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध विज्ञप्ति/नियुक्ति संख्या 1655/XLI-1/17-104/14 टीसी IV दिनांक 11–09–2017 के अनुसार यथावत् बने रहेंगे।

ओम प्रकाश,
अपर मुख्य सचिव।

सिंचाई अनुभाग–1

विज्ञप्ति/प्रोन्नति

27 अक्टूबर, 2017 ई0

संख्या 1955/II(I)–2017–01(29)(18)–2011/2013–सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत डिप्लोमाधारी कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) से सहायक अभियन्ता (सिविल) के पदों पर चयन वर्ष 2016–17 की रिक्तियों के सापेक्ष नियमित चयन द्वारा प्रोन्नति के सम्बन्ध में ज्येष्ठता क्रमांक–329 पर अंकित श्री अनिल कुमार, अपर सहायक अभियन्ता के विरूद्ध प्रचलित विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही के फलस्वरूप लोक सेवा आयोग में सम्पन्न विभागीय चयन समिति की बैठक, जिसकी संस्तुति आयोग के पत्र संख्या–417/38/ई–1/डी0पी0सी0/2016–17, दिनांक 06–03–2017 द्वारा प्राप्त हुई, में श्री अनिल कुमार की संस्तुति बन्द लिफाफे में रखी गयी। उनके विरूद्ध संस्थित विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही में उन्हें दोषमुक्त किये जाने के उपरान्त पुनः उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में दिनांक 18–09–2017 को सम्पन्न विभागीय चयन समिति की बैठक के सम्बन्ध में आयोग के पत्र संख्या–320/38/ई–1/डी0पी0सी0/2016–17 दिनांक 11–10–2017 के द्वारा श्री अनिल कुमार, अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) की सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर पदोन्नति की संस्तुति की है।

2. अतः लोक सेवा आयोग द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में श्री अनिल कुमार को राज्यधीन सकरारी सेवा में सेवारत कार्मिकों की प्रोन्नतियों के लिए होने वाले चयनों में बन्द लिफाफे की कार्यवाही आदि की प्रक्रिया का निर्धारण सम्बन्धी शासनादेश संख्या–1595/कार्मिक–02/2002, दिनांक 13–05–2003 के नियम 7(क) में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत उनसे कनिष्ठ ज्येष्ठता क्रमांक–330 पर अंकित श्री शहजाद आलम की पदोन्नति की तिथि 29–06–2017 से सहायक अभियन्ता (सिविल) वेतन मैट्रिक्स लेवल–10 (₹ 56100–177500) के पद पर नोशनल पदोन्नति प्रदान करते हुए कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वास्तविक रूप से पदोन्नति किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3. उक्त पदोन्नति कार्मिक को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

4. उक्त पदोन्नति कार्मिक को वेतनमान तैनाती स्थल पर ही कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा तथा इनके पदस्थापना के आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे।

5. उक्त आदेश मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में याजित रिट याचिका संख्या 1782/एस0एस0/2012 अवनीश भटनागर व अन्य बनाम राज्य में पारित होने वाले निर्णय के अधीन होंगे।

आज्ञा से,

आनन्द बर्द्धन,
प्रमुख सचिव।

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले अनुभाग–1

31 अक्टूबर, 2017 ई0

संख्या 1125/XIX-1/17–07/2017

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

2. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

विषय– उत्तराखण्ड राज्य के एल0पी0जी0 विहीन परिवारों को गैस कनैक्शन दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

राज्य के सभी परिवारों की रसोई को धुआं मुक्त करने हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–744/2017 के क्रम में केन्द्र की प्रधानमंत्री उज्जवला योजना की भांति राज्य के सामाजिक तथा आर्थिक रूप से कमजोर ऐसे परिवार, जिन्हें किन्हीं कारणों से प्रधानमंत्री उज्जवला योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है, को प्रधानमंत्री उज्जवला योजना की तर्ज पर निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन निःशुल्क गैस कनैक्शन दिये जाने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(1) इस योजना के अन्तर्गत सर्वप्रथम गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री उज्जवला योजना से आच्छादित करने का प्रयास किया जायेगा, तदोपरान्त छूटे हुए ऐसे अन्त्योदय/प्राथमिक (पी0एच0एच0) कार्ड धारक तथा ₹ 2.50 लाख से कम वार्षिक आय वाले राशन कार्ड धारक परिवारों की पात्रता सूची तैयार कर प्रस्ताव आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) किसी भी परिवार में महिला अथवा पुरूष मुखिया अथवा किसी अन्य सदस्य के नाम पूर्व से गैस कनैक्शन होने की स्थिति में उक्त परिवार निःशुल्क गैस कनैक्शन हेतु पात्र नहीं होगा।

(3) गैस सब्सिडी का दुरूपयोग न हो इस हेतु यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि सम्बन्धित राशन कार्ड धारक परिवार की महिला तथा पुरूष सदस्य का आधार नम्बर तथा बैंक खाता (आई0एफ0एस0सी0 कोड सहित) से लिंक किया जा चुका हो।

(4) प्रस्तावित गैस कनैक्शन प्रथमतः परिवार के महिला मुखिया सदस्य के नाम से दिया जायेगा, परिवार में महिला मुखिया सदस्य के न होने की स्थिति में ही अन्य महिला सदस्य के नाम से गैस कनैक्शन दिया जायेगा। परिवार में महिला सदस्य के उपलब्ध न होने की स्थिति में वरिष्ठतम् पुरूष सदस्य के नाम कनैक्शन दिया जायेगा। इस हेतु उज्जवला योजना की तर्ज पर प्रति कनैक्शन ₹ 1600 की धनराशि ऑयल कम्पनी हो दिया जायेगा, अवशेष व्ययभार लाभार्थी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।

(5) योजना चरणबद्ध रूप से संचालित की जायेगी अर्थात् प्रथम चरण में अन्त्योदय कार्ड धारक परिवारों को गैस कनैक्शन से संतृप्त किया जायेगा, समस्त जिलाधिकारियों का यह दायित्व होगा कि उनके जिले में कोई भी अन्त्योदय कार्ड धारक परिवार प्रथम चरण में गैस कनैक्शन से वंचित न हो।

द्वितीय चरण में ऐसे परिवार, जिनके पास राष्ट्रीय सुरक्षा योजना के अन्तर्गत अन्य कोई राशन कार्ड है अथवा ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्गत अद्यावधिक बी0पी0एल0 सूची में नाम दर्ज है, उनको इस योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा, अर्थात प्राथमिक परिवार (पी0एच0एच0) कार्ड धारक एवं बी0पी0एल0 परिवारों को सम्मिलित किया जायेगा तथा अन्तिम चरण में ऐसे कार्ड धारकों को जिनकी कुल वार्षिक आय ₹ 2.50 लाख से कम है, को भी लाभान्वित किया जायेगा।

(6) यदि राज्य में गैस विहीन परिवारों को निःशुल्क गैस कनैक्शन उपलब्ध करा दिये जाते हैं तो ऐसी स्थिति में राज्य में मिट्टी तेल का आवंटन धीरे–धीरे समाप्त किया जा सकता है। अतः राज्य में उक्त व्यवस्था को लागू किये जाने हेतु घरेलू गैस विहीन परिवारों के चयन तथा गैस कनैक्शन वितरण हेतु जनपद स्तर में जिलाधिकारियों के नेतृत्व में जिला पूर्ति अधिकारी, ऑयल कम्पनी के प्रतिनिधि एवं यदि आवश्यक हो तो अन्य विभागों का सहयोग लेते हुए पात्र लाभार्थियों के सर्वे के कार्य को समयबद्ध रूप से 2 माह के भीतर अभियान के रूप में चलाया जायेगा।

(7) यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या–152 मतदेय/XXVII(5)/2017-18, दिनांक 30–10–2017 की सहमति से जारी किया जा रहा है।

(8) अतः प्रकरण में तत्काल नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

आनन्द बर्द्धन,
प्रमुख सचिव

वित्त अनुभाग–8

अधिसूचना

10 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 919/2017/9(120)/XXVII(8)/2017–चूँकि, राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतः अब, श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम सं0 06, वर्ष 2017) की धारा 1 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 18 सितम्बर, 2017 को उस तारीख के रूप में नियत करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, जिसको उक्त अधिनियम की धारा–51 की उपधारा (1) में उपबन्ध, उक्त उपधारा (1) के खण्ड (क) और खण्ड (ख) तथा खण्ड (घ) के अधीन उपबन्ध विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के सम्बन्ध में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :–

(क) कोई प्राधिकरण या बोर्ड या कोई अन्य निकाय;

(एक) संसद या किसी राज्य विधान मण्डल के अधिनियम द्वारा गठित; या

(दो) किसी सरकार द्वारा स्थापित,

किसी कार्य को करने के लिए साम्या या नियंत्रण द्वारा पचास प्रतिशत या अधिक की भागीदारी के साथ;

(ख) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित कोई सोसाइटी;

(ग) पब्लिक सेक्टर उपक्रम

परन्तु यह कि उक्त व्यक्ति, राज्य सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर, बाद में अधिसूचित की जाने वाली तारीख से, कराधेय माल या सेवाओं या दोनों के पूर्तिकार को किये गये या जमा किये गये संदाय से कर की कटौती करने की दायी होगा।

आज्ञा से,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the **Notification No. 919/2017/9(120)/XXVII(8)/2017,** Dehradun, dated November 10, 2017 for general information:

NOTIFICATION

November 10, 2017

No. 919/2017/9(120)/XXVII(8)/2017--WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 06 of 2017), the Governor is pleased to allow to appoint the 18th day of September, 2017 as the date on which the provisions of sub-section (1) of section 51 of the said Act, under clause (a) clause (b) and clause (d) of sub-section (1) of section 51 of the said Act shall come into force with respect to persons specified, namely:--

(a) an authority or a board or any other body--

(i) set up by an Act of Parliament or a State Legislature; or

(ii) established by any Government,

with fifty-one percent or more participation by way of equity or control, to carry out any function;

(b) society established by the Central Government or the State Government or a Local Authority under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860);

(c) public sector undertakings:

Provided that the said persons shall be liable to deduct tax from the payment made or credited to the supplier of taxable goods or services or both with effect from a date to be notified subsequently, on the recommendations of the Council, by the State Government.

By Order,

RADHA RATURI,

Principal Secretary.

गृह अनुभाग–3

अधिसूचना

24 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 905/XX-3-2016-05(17) 2013–श्री राज्यपाल महोदय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 3 सपठित साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल की संस्तुति पर उक्त अधिनियम से सम्बन्धित प्रकरणों में कुमाऊँ परिक्षेत्र, नैनीताल के अन्तर्गत सतर्कता, अपराध अनुसंधान विभाग एवं पुलिस अवस्थापना द्वारा पंजीकृत चालानों के विचारण हेतु सुश्री कुमकुम रानी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नैनीताल को उनके पद के अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश के रूप में पदाभिहित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासन की अधिसूचना संख्या–1652/XX–3–2016–05(17)2013 दिनांक 02–09–2016 एतद्द्वारा विखण्डित समझी जायेगी।

आज्ञा से,

आनन्द वर्द्धन,

प्रमुख सचिव।

सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग–1

कार्यालय आदेश

10 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 351/XXXI(1)/2017–रिट–02/16–उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा के अन्तर्गत अनुसचिव के पद पर कार्यरत श्री बिरेन्द्र प्रसाद को उनसे आसन्न कनिष्ठ श्री राजेश कुमार की अनुसचिव के पद पर पदोन्नति की तिथि 18 अप्रैल, 2015 से वेतनमान ₹ 15,600–39,100, ग्रेड वेतन ₹ 6600 में प्राकल्पिक (नोशनल) रूप से प्रोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. श्री बिरेन्द्र प्रसाद, अनुसचिव को उनसे आसन्न कनिष्ठ की अनुसचिव के पद पर पदोन्नति की तिथि 18 अप्रैल, 2015 से नोशनल रूप से पदोन्नति किये जाने के फलस्वरूप इन्हें उक्त अवधि का वेतन एरियर का भुगतान नहीं किया जायेगा। किन्तु उक्त अवधि का लाभ वेतन निर्धारण हेतु देय होगा।

3. श्री प्रसाद को अनुसचिव के पद पर वास्तविक पदोन्नति की तिथि 06 जून, 2017 से निर्धारित वेतन के एरियर का भुगतान देय होगा।

4. उक्त पदोन्नति मा0 लोक सेवा अधिकरण, देहरादून में योजित निर्देश याचिका संख्या 92/2011 अहमद अली व अन्य बनाम राज्य तथा मा0 न्यायालय में योजित अन्य याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

आज्ञा से,

हरबंस सिंह चुघ,
सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 51 हिन्दी गजट/805–भाग 1–2017 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 23 दिसम्बर, 2017 ई0 (पौष 02, 1939 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

कार्यालय राज्य कर आयुक्त, उत्तराखण्ड

(विधि–अनुभाग)

22 नवम्बर, 2017 ई0

समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्य0/प्रव0), राज्य कर,

देहरादून/हरिद्वार/रुड़की/रुद्रपुर/हल्द्वानी सम्भाग।

पत्रांक 4018/रा0कर आयु0 उत्तरा0/रा0क0मु0/विधि–अनुभाग/17–18/देहरादून–उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग–8 द्वारा जारी अधिसूचना संख्याएं 955/2017/9(120)/XXVII(8)/2017; 956/2017/9(120)/XXVII(8)/2017; 957/2017/9(120)/XXVII(8)/2017, एवं 958/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 समदिनांकित 21 नवम्बर, 2017 का संदर्भ ग्रहण करें, जिनके द्वारा क्रमशः उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (नवां संशोधन) नियम, 2017; उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (दसवां संशोधन) नियम, 2017; उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 2017 एवं उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (आठवां संशोधन) नियम, 2017 को जारी किये जाने विषयक है।

उपरोक्त अधिसूचना की प्रतियां इस आशय से प्रेषित हैं कि उक्त अधिसूचनाओं की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ समस्त कर–निर्धारण अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु तथा बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों/ व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को सूचनार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

वित्त अनुभाग–8

अधिसूचना

21 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 955/2017/9(120)/XXVII(8)/2017—श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 164 सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 में अग्रेत्तर संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (नौवां संशोधन) नियम, 2017

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय माल और सेवाकर (नौवां संशोधन) नियम, 2017 है ।

(2) यह नियम दिनांक 13 अक्टूबर, 2017 से प्रवृत्त समझे जायेंगे ।

नियम 3 में संशोधन

2. उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें एतस्मिन पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के स्तम्भ-1 में दिए गए वर्तमान नियम 3 के उपनियम (3क) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया निम्नलिखित उपनियम रख दिया जाएगा, अर्थात्

स्तम्भ–1 वर्तमान उपनियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
(3क). उपनियम (1), उपनियम (2) और उपनियम (3) में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी, कोई व्यक्ति जिसे नियम 24 के अधीन अनंतिम आधार पर रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त किया गया है या जिसने नियम 8 के उपनियम (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया है, 01 अक्तूबर, 2017 से, उक्त तिथि से पूर्व इलैक्ट्रानिक रूप से प्ररूप जीएसटी सीएमपी-02 में समान पोर्टल पर या तो सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केन्द्र के माध्यम से संसूचना फाइल करके धारा 10 के अधीन कर का संदाय करने का विकल्प ले सकेगा और वह उक्त तारीख से 90 दिन की अवधि के भीतर प्ररूप जीएसटी आईटीसी-	(3क) उपनियम (1), उपनियम (2) और उपनियम (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति, जिसे नियम 24 के अधीन अनंतिम आधार पर रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त किया गया है या जिसे नियम 10 के उपनियम (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया है, धारा 10 के अधीन उस मास के, जिसमें उसने सामान्य पोर्टल पर या तो सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से 31 मार्च, 2018 को या उससे पूर्व प्ररूप जीएसटी सीएमपी-02 में संसूचना फाइल की है, के तुरंत उत्तरवर्ती मास की पहली तारीख से कर का संदाय करने का विकल्प ले सकेगा और वह नियम 44 के उपनियम (4) के उपबंधों के अनुसार प्ररूप

03 में नियम 44 के उपनियम (4) के उपबंधों के अनुसरण में एक विवरण प्रस्तुत करेगा:	जीएसटी आईटीसी-03 में उस दिन, जिसको ऐसा व्यक्ति धारा 10 के अधीन कर का संदाय करना आरंभ करता है, से नब्बे दिन की अवधि के भीतर विवरण प्रस्तुत करेगा :
परंतु यह कि उक्त व्यक्तियों को प्ररूप जीएसटी आईटीसी-03 में विवरण प्रस्तुत कर देने के पश्चात् प्ररूप जीएसटी टीआरएएन-1 में घोषणा प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।	परंतु उक्त व्यक्तियों को प्ररूप जीएसटी आईटीसी-03 में विवरण प्रस्तुत करने के पश्चात् प्ररूप जीएसटी टीआरएएन-1 में घोषणा प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

नियम 46 में संशोधन

3. "मूल नियम" के नियम 46 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

46क. पूर्ति का बीजक-सह-बिल- नियम 46 या नियम 49 या नियम 54 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति किसी गैर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को कराधेय मालों के साथ छूट प्राप्त मालों या सेवाओं की पूर्ति करता है, तो वह ऐसी पूर्तियों के लिए, एकल "पूर्ति का बीजक-सह-बिल" जारी कर सकेगा ।

नियम 54 में संशोधन

4. "मूल नियम" के नियम 54 के उपनियम (2) में,-

(क) "बीजक" शब्दों के स्थान पर, "समेकित कर बीजक" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) "चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो" शब्दों के पश्चात्, "मास के अंत में मास के दौरान सेवाओं की पूर्ति के लिए" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

नियम 62 में संशोधन

5. "मूल नियम" के नियम 62 के उपनियम (1) में निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

परंतु कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो उस मास की पहली तारीख से, जो तिमाही का पहला मास नहीं है, धारा 10 के अधीन कर का संदाय करने का विकल्प लेता है, प्ररूप जीएसटीआर-4 में तिमाही की उस अवधि के लिए, जिसके लिए उसने धारा 10 के अधीन कर का संदाय किया है विवरणी प्रस्तुत करेगा और वह धारा 10 के अधीन कर संदाय का विकल्प लेने से पूर्व तिमाही की अवधि के लिए उसे यथा लागू विवरणियां प्रस्तुत करेगा ।

प्ररूप जीएसटी सीएमपी-02 में संशोधन

6. प्ररूप जीएसटी सीएमपी-02 में "देखें नियम 3(2)" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, "देखें नियम 3(3) और 3(3क)" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

प्ररूप जीएसटीआर-1 में संशोधन

प्ररूप 7. प्ररूप जीएसटीआर-1 में सारणी 6 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"6 शून्य दर पूर्तियां और माने गए निर्यात

प्राप्तिकर्ता का जीएसटीआईएन	बीजक के ब्यौरे			परिवहन बिल/निर्यात बिल		एकीकृत कर			उपकर
	सं0	तारीख	मूल्य	सं0	तारीख	दर	कराधेय मूल्य	रकम	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6क. निर्यात									
6ख. एसईजेड इकाइयों या एसईजेड विकासकर्ता को की गई पूर्तियां									
6ग. माना गया निर्यात									

प्ररूप जीएसटीआर-1क में संशोधन

8. प्ररूप जीएसटीआर-1क में सारणी 4 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"4 एसईजेड को की गई शून्य दर पूर्तियां और माने गए निर्यात

प्राप्तिकर्ता का जीएसटीआईएन	बीजक के ब्यौरे			एकीकृत कर			उपकर
	सं0	तारीख	मूल्य	दर	कराधेय मूल्य	कर रकम	
1	2	3	4	5	6	7	8
4क. एसईजेड इकाई या एसईजेड विकासकर्ता को की गई पूर्तियां							

4ख. माना गया निर्यात	

प्ररूप जीएसटी आर-4 में संशोधन

9. प्ररूप जीएसटी आर-4 में, अनुदेश सं0 9 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

10. जुलाई, 2017 से सितंबर, 2017 और अक्तूबर, 2017 से दिसंबर, 2017 कर अवधि के लिए सारणी 4 की क्रम सं0 4क प्रस्तुत नहीं की जाएगी"।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the **Notification No. 955/2017/9(120)/XXVII(8)/2017,** Dehradun, dated November 17, 2017 for general information:

NOTIFICATION

November 17, 2017

No. 955/2017/9(120)/XXVII(8)/2017--In exercise of the powers conferred by section 164 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017) read with Section 21 of the Uttar Pradesh General Clause Act (as applicable in Uttarakhand), the Governor is pleased to make the following rules to amend the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017, namely :--

The Uttarakhand Goods and Services Tax (Ninth Amendment) Rules, 2017

Short title and Commencement

1. (1) These rules may be called the Uttarakhand Goods and Services Tax (Ninth Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall deemed to come into force from the 13th day of October, 2017.

Amendment in Rule 3

2. In Rule 3 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017, (hereinafter referred to as the principal rules), for the existing sub-rule (3A) set out in column-1 below, the following sub-rule set out in column-2 shall be substituted, namely:-

Column-1 Existing sub-rule	Column-2 Hereby substituted sub-rule
(3A) Notwithstanding anything contained in sub-rules (1), (2) and (3), a person who has been granted registration on a provisional basis under rule 24 or who has applied for registration under sub-rule (1) of rule 8 may opt to pay tax under section 10 with effect from the first day of October, 2017 by electronically filing an intimation in **FORM GST CMP-02,** on the common portal either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner, before the said date and shall furnish the statement in **FORM GST ITC-03** in accordance with the provisions of sub-rule (4) of rule 44 within a period of ninety days from the said date; Provided that the said persons shall not be allowed to furnish the declaration in **FORM GST TRAN-1** after the statement in **FORM GST ITC-03** has been furnished."; **(ii)** in sub-rule (5), after the words, brackets and figure "or sub-rule (3)", the words, brackets, figure and letter "or sub-rule (3A)" shall be inserted;	(3A) Notwithstanding anything contained in sub-rules (1), (2) and (3), a person who has been granted registration on a provisional basis under rule 24 or who has been granted certificate of registration under sub-rule (1) of rule 10 may opt to pay tax under section 10 with effect from the first day of the month immediately succeeding the month in which he files an intimation in **FORM GST CMP-02**, on the common portal either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner, on or before the 31st day of March, 2018, and shall furnish the statement in **FORM GST ITC-03** in accordance with the provisions of sub-rule (4) of rule 44 within a period of ninety days from the day on which such person commences to pay tax under section 10: Provided that the said persons shall not be allowed to furnish the declaration in **FORM GST TRAN-1** after the statement in **FORM GST ITC-03** has been furnished.";

Amendment in Rule 46

3. After rule 46 of the "Principal Rules", the following rule shall be inserted, namely:-

46A. Invoice-cum-bill of supply.- Notwithstanding anything contained in rule 46 or rule 49 or rule 54, where a registered person is supplying taxable as well as exempted goods or services or both to an unregistered person, he may issue a single "invoice-cum-bill of supply" for all such supplies.

Amendment in Rule 54

4. In sub-rule (2) of Rule 54 of the "Principal Rules"-

(a) for the words "tax invoice" the words "consolidated tax invoice" shall be substituted;

(b) after the words "by whatever name called", the words "for the supply of services made during a month at the end of the month" shall be inserted;

Amendment in Rule 62

5. In sub-rule (1) of Rule 62 of the "Principal Rules", the following proviso shall be inserted, namely:-

Provided that the registered person who opts to pay tax under section 10 with effect from the first day of a month which is not the first month of a quarter shall furnish the return in **FORM GSTR-4** for that period of the quarter for which he has paid tax under section 10 and shall furnish the returns as applicable to him for the period of the quarter prior to opting to pay tax under section 10.";

Amendment in FORM GST CMP-02

6. in **FORM GST CMP-02**, for the words, figures and brackets "See rule 3(2)", the words, figures, brackets and letter "See rule 3(3) and 3(3A)" shall be substituted.

Amendment in FORM GSTR-1

7. In **FORM GSTR-1**, for Table 6, the following shall be substituted, namely:-

"6. Zero rated supplies and Deemed Exports

GSTIN of recipient	Invoice details			Shipping bill/ Bill of export		Integrated Tax			Cess
	No.	Date	Value	No.	Date	Rate	Taxable value	Amt.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6A. Exports									
6B. Supplies made to SEZ unit or SEZ Developer									
6C. Deemed exports									

";

Amendment in FORM GSTR-1A

8. In **FORM GSTR-1A**, for Table 4, the following shall be substituted, namely:-

"4. Zero rated supplies made to SEZ and deemed exports

GSTIN of recipient	Invoice details			Integrated Tax			Cess
	No.	Date	Value	Rate	Taxable value	Tax amount	
1	2	3	4	5	6	7	8
4A. Supplies made to SEZ unit or SEZ Developer							
4B. Deemed exports							

Amendment in FORM GSTR-4

9. In **FORM GSTR-4**, after instruction no.9, the following shall be inserted, namely:-

10. For the tax period July, 2017 to September, 2017 and October, 2017 to December, 2017, serial 4A of Table 4 shall not be furnished."

अधिसूचना

21 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 956/2017/9(120)/XXVII(8)/2017–श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 164 सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 में अग्रेत्तर संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (दसवां संशोधन) नियम, 2017

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (दसवां संशोधन) नियम 2017 है ।

(2) यह नियम दिनांक 18 अक्टूबर, 2017 से प्रवृत्त समझे जायेंगे ।

नियम 89 में संशोधन

2. उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम 2017 के स्तम्भ–1 में दिए गए वर्तमान नियम 89 के उप नियम (1) के वर्तमान तीसरे परंतुक के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :-

स्तम्भ–1 वर्तमान परन्तुक	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित परन्तुक
परन्तु यह भी कि निर्यात के रुप में समझे जाने वाले पूर्ति के बाबत, आवेदन निर्यात समझे जाने वाले पूर्ति के प्राप्तकर्ता द्वारा फाइल किया जाएगा:	परंतु यह भी कि समझे गए निर्यातों के रुप में मानी गई पूर्तियों की बाबत, आवेदन निम्नलिखित द्वारा फाइल किया जा सकेगा, -- (क) समझी गई निर्यात पूर्तियों का प्राप्तिकर्ता ; या (ख) उन मामलों में जहां प्राप्तिकर्ता ऐसी पूर्तियों पर इनपुट कर प्रत्यय का लाभ नहीं लेता है और इस आशय का वचनबंध देता है कि पूर्तिकर्ता प्रतिदाय का दावा कर सकेगा, वहां समझी गई निर्यात पूर्तियों का पूर्तिकर्ता";

नियम 96क में संशोधन

3. उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम 2017 के नियम 96क के उपनियम (1) के खंड (क) में, "तीन मास की समाप्ति के पश्चात्" शब्दों के पश्चात्,"या ऐसी अतिरिक्त अवधि जो आयुक्त द्वारा अनुज्ञात की जा सकेगी," शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे

प्ररुप जीएसटी आरएफडी – 01 में संशोधन

4. उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम 2017 के प्ररुप जीएसटी आरएफडी – 01 में –

(क) "विवरण 2" के स्थान पर निम्नलिखित विवरण रखा जाएगा,अर्थात् :-

"विवरण 2 [नियम 89 (2)(ग)]

प्रतिदाय का प्रकार :- कर के संदाय के साथ सेवाओं का निर्यात

(रकम रुपयों में)

क्रम सं.	बीजक ब्यौरे			एकीकृत कर		उपकर	बीआरसी/ एफआईआरसी		नामे नोट, यदि कोई हो, में अंतर्वलित एकीकृत कर और उपकर	जमापत्र, यदि कोई हो, में अंतर्वलित एकीकृत कर और उपकर	शुद्ध एकीकृत कर और उपकर (6+7+10 - 11)
	सं.	तारीख	मूल्य	कराधेय मूल्य	रकम		सं.	तारीख			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

(ख) "विवरण 4" के स्थान पर निम्नलिखित विवरण रखा जाएगा,अर्थात् :-

"विवरण 4 [नियम 89 (2)(घ)और 89 (2)(ङ.)]

प्रतिदाय का प्रकार -- विशेष आर्थिक जोन यूनिट या विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता (कर के संदाय पर) को की गई पूर्तियों के मद्दे

(रकम रुपयों में)

प्राप्तिकर्ता का जीएसटी आईएन	बीजक ब्यौरे			पोतपरिवहन पत्र/ निर्यात बिल/ विशेष आर्थिक जोन पृष्ठांकित बीजक		एकीकृत कर		उपकर	नामे नोट यदि कोई हो, मे अंतवर्लि एकीकृत कर और उपकर	जमा पत्र, यदि कोई हो, में अंतर्वलित एकीकृत कर और उपकर	शुद्ध एकीकृत कर और उपकर (8+9+10– 11)
	सं.	तारीख	मूल्य	सं.	तारीख	कराधेय मूल्य	रकम				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											"

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the **Notification No. 956/2017/9(120)/ XXVII(8)/2017,** Dehradun, dated November 21, 2017 for general information:

NOTIFICATION

November 21, 2017

No. 956/2017/9(120)/XXVII(8)/2017--In exercise of the powers conferred by section 164 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017) read with Section 21 of the Uttar Pradesh General Clause Act (as applicable in Uttarakhand), the Governor is pleased to make the following rules to further amend the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017, namely :--

The Uttarakhand Goods and Services Tax (Tenth Amendment) Rules, 2017

Short title and commencement **1.** (1) These rules may be called the Uttarakhand Goods and Services Tax (Tenth Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall deemed to come into force from the 18th day of October, 2017.

Amendment in Rule 89 **2.** In Rule 89 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Rule, 2017, for the existing **third proviso** of sub-rule (1) given in column-1, the following proviso given in column-2 shall be substituted, namely:-

Column-1 Existing Proviso	Column-2 Hereby Substituted Proviso
Provided also that in respect of supplies regarded as deemed exports, the application shall be filed by the recipient of deemed export supplies:	Provided also that in respect of supplies regarded as deemed exports, the application may be filed by, - (a) the recipient of deemed export supplies; or (b) the supplier of deemed export supplies in cases where the recipient does not avail of input tax credit on such supplies and furnishes an undertaking to the effect that the supplier may claim the refund

Amendment in Rule 96A

3. In clause (a) of sub-rule (1) of Rule 96A of the Uttarakhand Goods and Services Tax Rule, 2017, after the words "after the expiry of three months", the words "or such further period as may be allowed by the Commissioner," shall be inserted.

Amendment in FORM GST RFD-01

4. In **FORM GST RFD-01** of the Uttarakhand Goods and Services Tax Rule, 2017-

(a) for **"Statement-2"**, the following Statement shall be substituted, namely:-

"Statement- 2 [rule 89(2)(c)]

Refund Type: Exports of services with payment of tax

(Amount in Rs.)

Sr. No.	Invoice details			Integrated tax		Cess	BRC/ FIRC		Integrated tax and cess involved in debit note, if any	Integrated tax and cess involved in credit note, if any	Net Integrated tax and cess (6+7+10 - 11)
	No.	Date	Value	Taxable value	Amt.		No.	Date			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											",

(b) for **"Statement-4"**, the following Statement shall be substituted, namely:-

"Statement-4 [rule 89(2)(d) and 89(2)(e)]

Refund Type: On account of supplies made to SEZ unit or SEZ Developer (on payment of tax)

(Amount in Rs.)

GSTIN of recipient	Invoice details			Shipping bill/ Bill of export/ Endorsed invoice by SEZ		Integrated Tax		Cess	Integrated tax and cess involved in debit note, if any	Integrated tax and cess involved in credit note, if any	Net Integrated tax and cess (8+9+10– 11)
	No.	Date	Value	No.	Date	Taxable Value	Amt.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											"

अधिसूचना

21 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 957 / 2017 / 9(120) / XXVII(8) / 2017–श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 164 सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 में अग्रेत्तर संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (ग्यारहवा संशोधन) नियम, 2017

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड माल और सेवाकर (ग्यारहवा संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये दिनांक 28 अक्टूबर, 2017 से प्रवृत समझे जायेंगे।

नियम 24 में संशोधन 2. उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें एतस्मिन पश्चात् मूल नियम कहा गया है।) के नियम 24 के उपनियम (4) में "31 अक्टूबर, 2017 को या उससे पहले" अंकों और शब्दों के स्थान पर, "31 दिसम्बर, 2017" को या उससे पहले" अंक और शब्द रखे जायेंगे।

नियम 45 में संशोधन 3. मूल नियम के नियम 45 में–

(क) उपनियम (3) में, "तिमाही से उत्तरवर्ती मास के पच्चीसवें दिन या पहले की अवधि के लिए दिये गये प्ररूप जीएसटी आईटीसी–1 में सम्मिलित किया जायेगा" शब्दों के स्थान पर "उस अवधि के लिए, तिमाही से उत्तरवर्ती मास के पच्चीसवें दिन पर या पहले या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर, जो आयुक्त द्वारा इस निमित अधिसूचना द्वारा विस्तारित की जाये, दिये गये प्ररूप जीएसटी आईटीसी–04 में सम्मिलित किया जायेगा"।

(ख) उपनियम (3) में निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जायेगा; अर्थात् :–

केन्द्रीय कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय–सीमा का कोई विस्तार आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जायेगा" शब्द अन्तःस्थापित किये जायेंगे।

नियम 96 में संशोधन 4. "मूल नियम" के नियम 96 के उपनियम (2) में निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किये जायेंगे, अर्थात् :–

परन्तु यह कि जहाँ किसी कर अवधि के लिए प्ररूप जीएसटीआर–1 में जावक प्रदायों के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए तारीख का अधिनियम की धारा 37 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विस्तार किया गया है, वहाँ प्रदायकर्ता प्ररूप जीएसटीआर–1 की सारणी 6क में यथा विनिर्दिष्ट से सम्बन्धित जानकारी प्ररूप जीएसटीआर–3ख में विवरणी प्रस्तुत कर दिये जाने के पश्चात् प्रस्तुत करेगा और उसे सीमाशुल्क द्वारा पदाभिहित प्रणाली को सामान्य पोर्टल द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से पारेषित किया जायेगा;

परन्तु यह है और कि पहले परन्तुक के अधीन सारणी 6क में प्रस्तुत जानकारी उक्त कर अवधि के लिए प्ररूप जीएसटीआर–1 में स्वतः प्रारूपित की जायेगी।

नियम 96क में संशोधन 5. "मूल नियम" के नियम 96क के उपनियम (2) में, निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किये जायेंगे किया जायेगा, अर्थात् :–

परन्तु यह कि जहाँ किसी कर अवधि के लिए प्ररूप जीएसटीआर–1 में जावक प्रदायों के ब्यौरें प्रस्तुत करने के लिए तारीख का अधिनियम की धारा 37 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विस्तार किया गया है, वहाँ प्रदायकर्ता प्ररूप जीएसटीआर–1 की सारणी 6क में यथा विनिर्दिष्ट निर्यातों से सम्बन्धित जानकारी प्ररूप जीएसटीआर–3ख में विवरणी प्रस्तुत कर दिये जाने के पश्चात् प्रस्तुत करेगा और उसे सीमाशुल्क द्वारा पदाभिहित प्रणाली को सामान्य पोर्टल द्वारा इलेक्ट्रानिक रूप से पारेषित किया जायेगा।

परन्तु यह और कि पहले परन्तुक के अधीन सारणी 6क में प्रस्तुत जानकारी उक्त कर अवधि के लिए प्ररूप जीएसटीआर–1 में स्वतः प्रारूपित की जायेगी।"

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the **Notification No. 957/2017/9(120)/XXVII(8)/2017,** Dehradun, dated November 21, 2017 for general information:

NOTIFICATION

November 21, 2017

No. 957/2017/9(120)/XXVII(8)/2017--In exercise of the powers conferred by section 164 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017) read with Section 21 of the Uttar Pradesh General Clause Act (as applicable in Uttarakhand), the Governor is pleased to make the following rules to further amend the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017, namely :--

The Uttarakhand Goods and Services Tax (Eleventh Amendment) Rules, 2017

Short title and Commencement 1. (1) These rules may be called the Uttarakhand Goods and Services Tax (Eleventh Amendment) Rules, 2017

(2) They shall deemed to come into force from the 28th day of October, 2017

Amendment in Rule 24 2. In sub-rule (4) of rule 24 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the Principal rules), for the words, figures and letters "on or before "31th October, 2017", the words, figures, and letters on or before "31st December, 2017" shall be substituted.

Amendment in Rule 45 3. In Rule 45 of the "Principal Rules"--

(a) in sub-rule (3), after the words " succeeding the said quarter" the words "or within such further period as may be extended by the Commissioner by a notification in this behalf.

(b) in sub-rule (3), the following proviso shall be inserted; namely:--

Provided that any extension of the time limit notified by the Commissioner of Central tax shall be deemed to be notified by the Commissioner." shall be inserted.

Amendment in Rule 96 4. In sub-rule (2) of Rule 96 of the "Principal Rules", the following provisos shall be inserted; namely :--

Provided that where the date for furnishing the details of outward supplies in FORM GSTR-1 for a tax period has been extended in exercise of the powers conferred under section 37 of the Act, the supplier shall furnish the information relating to exports in specified in Table 6A FORM GSTR-1 after the return in FORM GSTR-3B has been furnished and the same shall be transmitted electronically by the common portal to the system desinated by the Customs;

Provided further that the information in Table 6A furnished under the first proviso shall be auto-drafted in FORM GSTR-1 for the said tax period.

Amendment in Rule 96A

5. In sub-rule (2) of Rule 96A of the "Principal Rule", the following provisos shall be inserted; namely :--

Provided that where the date for furnishing the details of outward supplies in FORM GSTR-1 for a tax period has been extended in exercise of the powers conferred under section 37 of the Act, the supplier shall furnish the information relating to exports in specified in Table 6A FORM GSTR-1 after the return in FORM GSTR-3B has been furnished and the same shall be transmitted electronically by the common portal to the system desinated by the Customs;

Provided further that the information in Table 6A furnished under the first proviso shall be auto-drafted in FORM GSTR-1 for the said tax period.

अधिसूचना

21 नवम्बर, 2017 ई०

संख्या 958/2017/9(120)/XXVII(8)/2017—श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 164 सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 में अग्रेत्तर संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (आठवां संशोधन) नियम, 2017

संक्षिप्त नाम एंव प्रारम्भ

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड माल और सेवाकर (आठवां संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये नियम दिनांक 29 सितम्बर, 2017 से प्रवृत समझे जाएंगे।

नियम 24 में संशोधन

2. उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें एतस्मिन पश्चात् मूल नियम कहा गया है।) के नियम 24 के उपनियम (4) में "30 सितम्बर" अंकों और शब्द के स्थान पर, "31 अक्टूबर" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

नियम 118 में संशोधन

3. मूल नियमों के नियम 118 में, "नियत दिन के नब्बे दिन की अवधि" शब्दों के स्थान पर, "नियम 117 में विनिर्दिष्ट अवधि या ऐसी और अवधि, जो आयुक्त द्वारा विस्तारित की जाए" शब्द रखे जायेंगे।

नियम 119 में संशोधन 4. मूल नियमों के नियम 119 में, "नियत दिन के नब्बे दिन" शब्दों के स्थान पर, "नियम 117 में विनिर्दिष्ट अवधि या ऐसी और अवधि, जो आयुक्त द्वारा विस्तारित की जाए" शब्द रखे जायेंगे।

नियम 120 में संशोधन 5. मूल नियमों के नियम 120 में, "नियत दिन के नब्बे दिन" शब्दों के स्थान पर, "नियम 117 में विनिर्दिष्ट अवधि या ऐसी और अवधि, जो आयुक्त द्वारा विस्तारित की जाए" शब्द रखे जायेंगे।

नियम 120क में संशोधन 6. मूल नियमों के नियम 120क में, "प्ररूप जीएसटी टीआरएएन–1" में घोषणा का पुनरीक्षण" पार्श्व शीर्ष अन्तःस्थापित किया जाएगा।

प्ररूप जीएसटी आईजी–29 में संशोधन 7. प्ररूप जीएसटी आरईजी–29 में–

(क) "अतंतिम रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए आवेदन" शीर्ष के स्थान पर "प्रवासी करदाताओं के अनंतिम रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने के लिए आवेदन" शीर्ष रखा जाएगा;

(ख) उपशीर्ष भाग–क के अधीन मद (एक) के सामने "अनंतिम आई डी" शब्द और अक्षर के स्थान पर, "जीएसटी आईएन" अक्षर रखे जाएगे।

आज्ञा से,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the **Notification No. 958/2017/9(120)/XXVII(8)/2017,** Dehradun, dated November 21, 2017 for general Information:

NOTIFICATION

November 21, 2017

No. 958/2017/9(120)/XXVII(8)/2017--In exercise of the powers conferred by section 164 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017) read with Section 21 of the Uttar Pradesh General Clause Act (as applicable in Uttarakhand), the Governor is pleased to make the following rules to further amend the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017, namely :--

The Uttarakhand Goods and Services Tax (Eighth Amendment) Rules, 2017

Short title and Commencement 1. (1) These rules may be called the Uttarakhand Goods Services Tax (Eighth Amendment) Rules, 2017

(2) They shall deemed to come into force from the 29th day of September, 2017

Amendment in Rule 24 2. In sub-rule (4) of rule 24 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the Principal rules), for the figures, letters and word, "30th September", the figures, letters and word "31st October" shall be substituted.

Amendment in Rule 118 3. In rule 118 of the "Principal Rules", for the words "a period of ninety days of the appointed day", the words and figures "the period specified in rule 117 or such further period as extended by the Commissioner" shall be substituted.

Amendment in Rule 119 — 4. In rule 118 of the "Principal Rules", for the words "ninety days of the appointed day", the words and figures "the period specified in rule 117 or such further period as extended by the Commissioner" shall be substituted.

Amendment in Rule 120 — 5. In rule 120 of the "Principal Rules", for the words "ninety days of the appointed day", the words and figures "the period specified in rule 117 or such further period as extended by the Commissioner" shall be substituted.

Amendment in Rule 120A — 6. In rule 120A of the "Principal Rules", the marginal heading **"Revision of declaratin in FORM GST TRAN-1"** Shall be inserted.

Amendment in FORM GST REG-29 — 7. In **FORM GST REG-29,-**

(a) for the heading" **APPLICATION FOR CANCELLATION OF PROVISIONAL REGISTRATION"**, the heading, **"APPLICATION FOR CANCELLATION OF REGISTRATION OF MIGRATED TAXPAYERS"** shall be substituted;

(b) under sub-heading PART-A against item (i) for the word and letters "Provisional ID", the letters"GSTIN" shall be substitued.

By Order,

RADHA RATURI,
Principal Secretary.

पीयूष कुमार,
एडिशनल कमिश्नर (वि0वे0), राज्य कर,
मुख्यालय, देहरादून।

कार्यालय राज्य कर आयुक्त, उत्तराखण्ड

(विधि–अनुभाग)

28 नवम्बर, 2017

समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्य0/प्रव0), राज्य कर,

देहरादून/हरिद्वार/रुड़की/रूद्रपुर/हल्द्वानी सम्भाग।

पत्रांक 4091/रा0कर आयु0 उत्तरा0/रा0क0मु0/विधि–अनुभाग/17–18/देहरादून–उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग–8 द्वारा जारी अधिसूचना संख्याएं 969/2017/9(120)/XXVII(8)/2017; 970/2017/9(120)/XXVII(8)/2017; 971/2017/9(120)/XXVII(8)/2017; 972/2017/9(120)/XXVII(8)/2017; 973/2017/9(120)/XXVII(8)/2017; 974/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 एवं 975/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 समदिनांकित 21 नवम्बर, 2017 का संदर्भ ग्रहण करें, जिनके द्वारा क्रमशः अधिसूचना संख्याएं 514; 518; 515; 521 समदिनांकित 29 जून, 2017 में संशोधन; वस्तुओं पर राज्य कर से 2.5 प्रतिशत की दर से संगणित राशि से अधिक की छूट प्रदान किये जाने; अधिसूचना संख्या 525 एवं अधिसूचना संख्या 530 समदिनांकित 29 जून, 2017 में संशोधन जारी किये जाने विषयक है ।

उपरोक्त अधिसूचना की प्रतियां आपको इस आशय से प्रेषित है कि उक्त अधिसूचनाओं की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ समस्त कर–निर्धारण अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु तथा बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों/ व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को सूचनार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

वित्त अनुभाग–8

अधिसूचना

23 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 970/2017/9(120)/XXVII(8)/2017–चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 11 की उपधारा (1) सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिषद् की सिफारिशों के आधार पर उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग–8 की अधिसूचना संख्या 518/2017/9(120)/XXVII (8)/2017, दिनांक 29 जून, 2017 में निम्नलिखित अग्रेत्तर संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है; अर्थात्–

उक्त अधिसूचना में, -

(1) सूची में,-

(i) क्रम संख्या 8 और 9 और उनसे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित की जाएगी,यथा;-

"8	0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209	सभी सामान,ताजा या द्रुतशितित
9	0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210	सभी सामान, (ताजा या द्रुतशितित से भिन्न) उनसे भिन्न, जिन्हें किसी यूनिट कंटेनर में रखा गया हो और,- (क) जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम हो, या (ख) जिनका कोई ऐसा ब्रांड नाम हो जिस पर किसी विधिक न्यायालय में कार्रवाई योग्य दावा किया जा सकता हो या उस पर कोई प्रवर्तनी अधिकार उपलब्ध हो [अनुबंध I में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए, उनसे भिन्न जहां के ऐसे ब्रांड नाम पर किसी कार्रवाई योग्य दावे या प्रवर्तनी अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया हो] ";

(ii) क्रम संख्या 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 को और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित कर दिया जाएगा ;

(iii) क्रम संख्या 21 और 22 और उनसे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जाएगी,यथा;-

"21	0304, 0306, 0307, 0308	सभी सामान, ताजा या द्रुतशितित
22	0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308	सभी सामान, (ताजा या द्रुतशितित से भिन्न) उनसे भिन्न, जिन्हें किसी यूनिट कंटेनर में रखा गया हो और,- (क) जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम हो, या (ख) जिनका कोई ऐसा ब्रांड नाम हो जिस पर किसी विधिक न्यायालय में कार्रवाई योग्य दावा किया जा सकता होया उस पर कोई प्रवर्तनी अधिकार उपलब्ध हो [अनुबंध I में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए, उनसे भिन्न जहां के ऐसे ब्रांड नाम पर किसी कार्रवाई योग्य दावे या प्रवर्तनी अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया हो] ";

(iv) क्रम संख्या 23, 24 को और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित कर दिया जाएगा;"

(v) क्रम संख्या 30 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी,यथा;-

"30क	0504	सभी सामान, ताजा या द्रुतशितित
30ख	0504	सभी सामान, (ताजा या द्रुतशितित से भिन्न) उनसे भिन्न,जिन्हें किसी यूनिट कंटेनर में रखा गया हो और,- (क) जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम हो, या (ख) जिनका कोई ऐसा ब्रांड नाम हो जिस पर किसी विधिक न्यायालय में कार्रवाई योग्य दावा किया जा सकता हो या उस पर कोई प्रवर्तनी अधिकार उपलब्ध हो [अनुबंध I में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए, उनसे भिन्न जहां के ऐसे ब्रांड नाम पर किसी कार्रवाई योग्य दावे या प्रवर्तनी अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया हो] ";

(vi) क्रम सख्या 43 और उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी,यथा;-

"43क	0710	वनस्पतियां (बिना पकाई गई या भापन या पानी में उबाल कर पकाई गई), हिमशीतित उनसे भिन्न,जिन्हें किसी यूनिट कंटेनर में रखा गया हो और,- (क) जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम हो, या (ख) जिनका कोई ऐसा ब्रांड नाम हो जिस पर किसी विधिक न्यायालय में कार्रवाई योग्य दावा किया जा सकता हो या उस पर कोई प्रवर्तनी अधिकार उपलब्ध हो [अनुबंध I में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए, उनसे भिन्न जहां के ऐसे ब्रांड नाम पर किसी कार्रवाई योग्य दावे या प्रवर्तनी अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया हो] ";

(vii) क्रम संख्या 46 केस्तंभ (3) में, शब्दों "ताजा या द्रुतशितित" के स्थान पर शब्दों"ताजा, या द्रुतशितित,शुष्क" कोप्रतिस्थापितकिया जाएगा;

(viii) क्रम सख्या 46 के बाद और उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी,यथा;-

"46क	0714	मेनिओक, अरारूट, संलेप, जेरुसलम पाथीचक, शकरकंद और वैसी ही जड़ें और कंद, जिनमें स्टार्च और इनूलिन की मात्रा अधिक है, हिमशीतित, चाहे स्लाइस किए गए हैं या नहीं या गुटिका रूप में हैं उनसे भिन्न, जिन्हें किसी यूनिट कंटेनर में रखा गया हो और,- (क) जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम हो, या (ख) जिनका कोई ऐसा ब्रांड नाम हो जिस पर किसी विधिक न्यायालय में कार्रवाई योग्य दावा किया जा सकता हो या उस पर कोई प्रवर्तनी अधिकार उपलब्ध हो [अनुबंध I में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए, उनसे भिन्न जहां के ऐसे ब्रांड नाम पर किसी कार्रवाई योग्य दावे या प्रवर्तनी अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया हो]
46ख	08	शुष्कित मखाना, चाहे कवचयुक्त या छिलकारहित है या नहीं उनसे भिन्न, जिन्हें किसी यूनिट कंटेनर में रखा गया हो और,- (क) जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम हो, या (ख) जिनका कोई ऐसा ब्रांड नाम हो जिस पर किसी विधिक न्यायालय में कार्रवाई योग्य दावा किया जा सकता हो या उस पर

		कोई प्रवर्तनी अधिकार उपलब्ध हो [अनुबंध I में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए, उनसे भिन्न जहां के ऐसे ब्रांड नाम पर किसी कार्रवाई योग्य दावे या प्रवर्तनी अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया हो] ";

(ix) क्रम संख्या 77 के स्तंभ (3) में, शब्दों "आलू का आटा" के स्थान पर शब्दों "आलू का आटा, अवचूर्ण, चूर्ण पत्र या दलित" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(x) क्रम सख्या 78 और उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी,यथा;-

"78क	1106 10 10	ग्वार अवचूर्ण";

(xi) क्रम सख्या 87 और उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी,यथा;-

"87क	1210 10 00	हाप कोन, जो दलित, चूर्णित या गुटिका के रूप में नहीं है";

(xii) क्रम सख्या 93 के बाद और उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी,यथा;-

"93क	1404 90 60	नारियल कवच, अकर्मित";

(xiii) क्रम संख्या 94 केस्तंभ (3) की प्रविष्टि, के स्थान पर,प्रविष्टि "सभी प्रकार के गुड़, जिसके अंतर्गत गन्ना गुड़ (गुड़), पालमिरा गुड़ सम्मिलित है; खांडसारी चीनी" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(xiv) क्रम संख्या 103 केस्तंभ (3) की प्रविष्टि, के स्थान पर, प्रविष्टि "नमक (टेबल नमक और विकृत नमक) और शुद्ध सोडियम क्लोराइड, चाहे जलीय घोल या नहीं, या एंटी-केक या मुफ्त फ्लोइंग एजेंट युक्त; समुद्र जल" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(xv) क्रम सख्या 103 और उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी,यथा;-

"103क	26	यूरेनियम ऑर कॉनसन्ट्रेट";

(xvi) क्रम सख्या 136 और उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी,यथा;-

"136क	7113	लाख या शलक लाख की चूड़ियाँ";

(2) स्पष्टीकरण में, खंड (ii) में उपखंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"(ख)□पंजीकृत ब्रांड नाम" वाक्यांश का अर्थ है, -

(क) ट्रेड मार्क एक्ट, 1999 के तहत 15 मई 2017 को या उसके बाद पंजीकृत एक ब्रांड, चाहे ब्रांड को बाद में पंजीकरण रद्द कर दिया गया हो या नहीं;

(ख) कॉपीराइट अधिनियम, 1957(1957 का 14) के तहत 15 मई 2017 को या उसके बाद पंजीकृत एक ब्रांड;

(ग) किसी भी अन्य देश में किसी भी कानून के तहत 15 मई, 2017 को या उसके बाद पंजीकृत एक ब्रांड"

2. यह अधिसूचना 15, नवंबर 2017 से प्रवृत होगी।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the **Notification No. 970/2017/9(120)/XXVII(8)/2017,** Dehradun, dated November 23, 2017 for general information:

NOTIFICATION

November 23, 2017

No. 970/2017/9(120)/XXVII(8)/2017--WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017) read with section 21 of Uttar Pradesh General Clause Act, 1904 (as applicable to the State of Uttarakhand) on the recommendations of the Council, the Governor is pleased to allow to make the following further amendments in the notification of the Government of Uttarakhand, Finance Section-8, No. 518/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 Dated 29 June, 2017, namely:--

In the said notification, -
(1) in the Sehedule,

(i) for S. Nos. 8 and 9 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

"8	0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209	All goods,fresh or ehilled
9	0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210	All goods [other than fresh or chilled] other than those put up in unit container and, - (a) bearing a registered brand name; or (b) bearing a brand name on which an aetionable claim or enforceable right in a court of law is available [other than those where any aetionable elaim or enforceable right in respect of sueh brand name has been foregone voluntarily], subject to the conditions as in the ANNEXURE I]";

(ii) S. Nos. 10,11,12,13,14,15,16,17 and the entries thereof shall be omitted;

(iii) for S. Nos. 21 and 22 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

"21	0304, 0306, 0307, 0308	All goods, fresh or chilled
22	0303, 0304, 0305,	All goods [other than fresh or chilled] and other than those put up in unit eontainer and, - (a) bearing a registered brand name; or
	0306, 0307,	(b) bearing a brand name on which an actionable elaim or enforceable right in a court of law is available
	0308	[other than those where any actionable claim or enforceable right in respect of such brand name has been foregone voluntarily], subject to the conditions as in the ANNEXURE I]" ;

(iv) S. Nos. 23, 24 and the entries thereof shall be omitted;

(v) after S. No. 30 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

"30A	0504	All goods, fresh or chilled
30B	0504	All goods [other than fresh or chilled] other than those put up in unit container and, - (a) bearing a registered brand name; or (b) bearing a brand name on whieh an actionable elaim or enforeeable right in a court of law is available [other than those where any actionable claim or enforceable right in respect of sueh brand name has been foregone voluntarily], subjeet to the eonditions as in the ANNEXURE I]" ;

(vi) after S. No. 43 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

"43A	0710	Vegetables (uncooked or cooked by steaming or boiling in water), frozen, other than those put up in unit container and, - (a) bearing a registered brand name; or (b) bearing a brand name on which an actionable claim or enforceable right in a court of law is available [other than those where any actionable claim or enforceable right in respect of such brand name has been foregone voluntarily], subject to the conditions as in the ANNEXURE I]" ;

(vii) in S. No. 46, in eolumn (3), for the words "fresh or chilled" the words "fresh or chilled, dried"shall be substituted;

(viii) after S. No. 46 and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be inserted, namely: -

"46A	0714	Manioe, arrowroot, salep, Jerusalem artichokes, sweet potatoes and similar roots and tubers with high starch or inulin eontent, frozen, whether or not sliced or in the form of pellets other than those put up in unit container and, - (a) bearing a registered brand name; or (b) bearing a brand name on which an actionable claim or enforceable right in a court of law is available [other than those where any actionable claim or enforceable right in respeet of sueh brand name has been foregone voluntarily], subjeet to the conditions as in the ANNEXURE I]

46B	08	Dried makhana, whether or not shelled or peeled other than those put up in unit container and,- (a) bearing a registered brand name; or (b) bearing a brand name on which an actionable claim or enforceable right in a court of law is available [other than those where any actionable claim or enforceable right in respect of such brand name has been foregone voluntarily], subject to the conditions as in the ANNEXURE I]";

(ix) in S. No. 77, in the entry in column(3),for the words "Flour of potatoes" the words "Flour, powder, flakes, granules or pellets of potatoes", shall be substituted;

(x) after S. No. 78 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

"78A	1106 10 10	Guar meal" ;

(xi) after S. No. 87 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

"87A	1210 10 00	Hop cones, neither ground nor powdered nor in the form of pellets" ;

(xii) after S. No. 93 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

"93A	1404 90 60	coconut shell, unworked";

(xiii) in S. No. 94, for the entry in column 3, the entry "Jaggery of all types including Cane Jaggery (gur), Palmyra Jaggery;Khandsari Sugar"shall be substituted;

(xiv) in S. No. 103, for the entry in column (3), the entry"Salt (including table salt and denatured salt) and pure sodium chloride, whether or not in aqueous solutions or containing added anti-caking or free flowing agents; sea water", shall be substituted;

(xv) after S. No. 103 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

"103A	26	Uranium Ore Concentrate";

(xvi) after S. No. 136 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

"136A	7113	Bangles of lac/ shellac";

(2) in the Explanation, in clause (ii), for sub-clause (b), the following sub-clause shall be substituted, namely: -

(b) The phrase "registered brand name" means, -

(A) a brand registered as on or after the 15th May 2017 under the Trade Marks Act, 1999 irrespective of whether or not the brand is subsequently deregistered;

(B) a brand registered as on or after the 15th May2017 under the Copyright Act, 1957(14 of 1957);

(C) a brand registered as on or after the 15th May2017 under any law for the time being in force in any other country.".

2. This notification shall come into force with effect from the 15th day of November, 2017.

अधिसूचना

23 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 971 / 2017 / 9(120) / XXVII(8) / 2017–चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 9 की उपधारा (3) सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904(उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग-8 की अधिसूचना संख्या 515/2017/9(120)/ XXVII(8)/2017 दिनांक 29 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात्

उक्त अधिसूचना में, तालिका में, क्रम संख्या 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित प्रविष्टि को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"4क	5201	कच्चा कपास	कृषिक	कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति";

2. यह अधिसूचना 15 नवंबर, 2017 से प्रवृत होगी।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the **Notification No. 971/2017/9(120)/ XXVII(8)/2017,** Dehradun, dated November 23, 2017 for general information:

NOTIFICATION

November 23, 2017

No. 971/2017/9(120)/XXVII(8)/2017--WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017) read with section 21 of Uttar Pradesh General Clause Act, 1904(as applicable to the State of Uttarakhand), on the recommendations of the Council, the Governor is pleased to allow to make the following amendments in the notification of the Government of Uttarakhand, Finance Section-8, No. 515/2017/9(120)/ XXVII(8)/2017 Dated 29 June, 2017, namely:-

In the said notification, in the TABLE, -

(i) after Sl. No. 4 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

"4A	5201	Raw cotton	Agriculturist	Any registered person".

2. This notification shall come into force with effect from the 15th day of November, 2017.

अधिसूचना

23 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 972/2017/9(120)/XXVII(8)/2017—चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 54 की उपधारा (3) के परंतुक के उपवाक्य (ii) सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग-8 की अधिसूचना संख्या 521/2017/9(120)/ XXVII(8)/2017 दिनांक 29 जून, 2017 में निम्नलिखित अग्रेत्तर संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात्-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 6क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"6 क	5608	डोरी, रज्जु या रस्सा के ग्रंथित जाल, जो टैक्सटाइल सामग्री के विनिर्मित मत्स्यन जाल और अन्य विनिर्मित जाल हैं
6 ख	5801	कॉरडरॉय फेब्रिक
6 ग	5806	संकीर्ण व्यूतित फेब्रिक,शीर्ष सं .5807 के माल से भिन्न ; संकीर्ण फेब्रिक, जिसमें आसंजक के माध्यम से समंजित बाना के बिना ताना है (बोल्डवस)"।

2. यह अधिसूचना 15 नवंबर, 2017 से प्रवृत होगी ।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the **Notification No. 972/2017/9(120)/ XXVII(8)/2017,** Dehradun, dated November 23, 2017 for general information:

NOTIFICATION

November 23, 2017

No. 972/2017/9(120)/XXVII(8)/2017--WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (ii) of the proviso to sub-section (3) of section 54 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017) read with section 21 of Uttar Pradesh General Clause Act, 1904(as applicable to the State of Uttarakhand), on the recommendations of the Council, the Governor is pleased to allow to make the following further amendments in the notification of the Government of Uttarakhand, Finance Section-8, No. 521/2017/9(120)/ XXVII(8)/2017 Dated 29 June, 2017, namely:-

In the said notification, in the TABLE, for Sl. No. 6A and the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely: -

"6A	5608	Knotted netting of twine, cordage or rope; made up fishing nets and other made up nets, of textile materials
6B	5801	Corduroy fabrics
6C	5806	Narrow woven fabrics, other than goods of heading 5807; narrow fabrics consisting of warp without weft assembled by means of an adhesive (bolducs)".

2. This notification shall come into force with effect from the 15th day of November, 2017.

अधिसूचना

23 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 973/2017/9(120)/XXVII(8)/2017–चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) (इसके पश्चात जिसें इस अधिसूचना में, उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 11 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं को उक्त सारणी के कॉलम (2) में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि मे निर्दिष्ट संस्थानों को आपूर्ति किए जाने पर उक्त अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत उन पर लगाए गए राज्य कर से 2.5 प्रतिशत की दर से संगणित राशि से अधिक की छूट प्रदान करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है, बशर्ते कि उक्त सारणी के कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट शर्तें पूरी होती हों-

सारणी

क्रम सं.	संस्थानों का नाम	वस्तुओं का विवरण	शर्तें
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	सार्वजनिक कोष से सहायता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय या भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान या भारतीय विज्ञान संस्थान बैंगलोर या राष्ट्रीय प्रोद्योगिकी संस्थान/क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज जो अस्पताल से भिन्न हों।	(क) वैज्ञानिक और तकनीकी उपकरण, उपस्कर, औजार (कम्प्यूटर समेत); (ख) सहायक वस्तुएं, कलपूर्जे, उपभोग वाली वस्तुएं और जीवित पशु (प्रयोग के उद्देश्य से); (ग) कम्प्यूटर साफ्टवेयर काम्पेक्ट डिस्क-रीड ऑनली मेमोरी (सीडी-रोम), रिकोर्डेड मेगनेटिंग टेप्स, माइक्रोफिल्म्स, माइक्रोफिसेस; (घ) प्रोटोटाइप्स, प्रोटोटाइप्स का सकल मूल्य जोकि किसी संस्थान द्वारा प्राप्त किया जाता है किसी एक वित्तीय वर्ष में 50,000 रु से अधिक न हो।	(i) इन वस्तुओं की आपूर्ति निम्नलिखित को या के लिए की जाती हो – (क) भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग या परमाणु ऊर्जा विभाग या रक्षा अनुसंधान विभाग संगठन के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले अनुसंधान संस्थान जिनको सार्वजनिक कोष से वित्त पोषित किया जाता हो और ऐसा संस्थान कम से कम उप सचिव, भारत सरकार या उप सचिव, राज्य सरकार या उप सचिव, संघ राज्य के स्तर के अधिकारी, संबंधित विभाग से प्राप्त इस आशय का प्रमाण-पत्र विशिष्ट वस्तुओं की आपूर्ति के समय आपूर्तिकर्ता को प्रस्तुत करता हो; या (ख) कोई संस्थान जोकि भारत सरकार के विज्ञान एवं अनुसंधान विभाग में पंजीकृत हो और ऐसा संस्थान कम से कम भारत सरकार के उप सचिव या

(1)	(2)	(3)	(4)
			राज्य सरकार के उप सचिव या संघ राज्य के उप सचिव, संबंधित विभाग के, स्तर के अधिकारी से प्राप्त प्रमाणपत्र विशिष्ट माल की आपूर्ति के समय आपूर्तिकर्ता को प्रस्तुत करता हो; (ii) ऐसा संस्थान, आपूर्ति के समय आपूर्तिकर्ता को प्रत्येक मामले में संस्थान के प्रमुख से प्राप्त इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे की उक्त माल की जरूरत अनुसंधान के उद्देश्य के लिए है; (iii) जीवित जंतुओं की आपूर्ति के मामले में, प्रयोग के उद्देश्य के लिए, ऐसा संस्थान आपूर्ति के समय आपूर्तिकर्ता को ऐसे संस्थान के प्रमुख से प्राप्त इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता हो कि ऐसे जीवित जीव जंतु की अनुसंधान के लिए जरूरत है और साथ ही वह प्राणियों पर प्रयोग के नियंत्रण और निरीक्षण के उद्देश्य संबंधी समिति के द्वारा जारी एक अनापत्ति प्रमाण पत्र भी संलग्न करता हो।

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	अस्पताल से भिन्न अनुसंधान संस्थान	(क) वैज्ञानिक और तकनीकी उपकरण, उपस्कर, औजार (कम्प्यूटर समेत); (ख) सहायक वस्तुएं, कलपूर्जे, उपभोग वाली वस्तुएं और जीवित पशु (प्रयोग के उद्देश्य से); (ग) कम्प्यूटर साफ्टवेयर काम्पेक्ट डिस्क-रीड ऑनली मेमोरी (सीडी-रोम), रिकोर्डेड मेगनेटिंग टेप्स, माइक्रोफिल्म्स, माइक्रोफिसेस; (घ) प्रोटोटाइप्स, प्रोटोटाइप्स का सकल मूल्य जोकि किसी संस्थान द्वारा प्राप्त किया जाता है किसी एक वित्तीय वर्ष में 50,000 रु से अधिक न हो।	(1) ऐसे संस्थान जो भारत सरकार के विज्ञान एवं अनुसंधान विभाग में पंजीकृत हो;जोकि - (i)आपूर्ति के समय आपूर्तिकर्ता को संस्थान के प्रमुख से प्राप्त इस आशय का प्रमाणपत्र, प्रत्येक मामले में प्रस्तुत करता हो कि उक्त वस्तु अनुसंधान के उद्देश्य के लिए आवश्यक है और इसका प्रयोग उक्त उद्देश्य के लिए ही किया जाएगा; (ii) जीवित जंतुओं की आपूर्ति के मामले में, प्रयोग के उद्देश्य के लिए, ऐसा संस्थान आपूर्ति के समय आपूर्तिकर्ता को ऐसे संस्थान के प्रमुख से प्राप्त इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता हो कि ऐसे जीवित जीव जंतु की अनुसंधान के लिए जरूरत है और साथ ही वह प्राणियों पर प्रयोग के नियंत्रण और निरीक्षण के उद्देश्य संबंधी समिति के द्वारा जारी एक अनापत्ति प्रमाण पत्र भी संलग्न करता हो। (2) उपर्युक्त (1) के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं को

(1)	(2)	(3)	(4)
			संस्थान के द्वारा स्थापित किए जाने के 5 वर्ष की अवधि तक न तो स्थानांतरित किया जाएगा न ही बेचा जाएगा।
3.	केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के विभाग और प्रयोगशालाएं, अस्पताल से भिन्न	(क) वैज्ञानिक और तकनीकी उपकरण, उपस्कर, औजार (कम्प्यूटर समेत); (ख) सहायक वस्तुएं, कलपूर्जे, उपभोग वाली वस्तुएं और जीवित पशु (प्रयोग के उद्देश्य से); (ग) कम्प्यूटर साफ्टवेयर काम्पेक्ट डिस्क-रीड ऑनली मेमोरी (सीडी-रोम), रिकोर्डेड मेगनेटिंग टेप्स, माइक्रोफिल्म्स, माइक्रोफिसेस; (घ) प्रोटोटाइप्स, प्रोटोटाइप्स का सकल मूल्य जोकि किसी संस्थान द्वारा प्राप्त किया जाता है किसी एक वित्तीय वर्ष में 50,000 रु से अधिक न हो।	(i) यह संस्थान, आपूर्ति के समय आपूर्तिकर्ता को संस्थान के प्रमुख से प्राप्त इस आशय का प्रमाणपत्र, प्रत्येक मामले में प्रस्तुत करता हो कि उक्त वस्तु अनुसंधान के उद्देश्य के लिए आवश्यक है और इसका प्रयोग उक्त उद्देश्य के लिए ही किया जाएगा; (ii) जीवित जंतुओं की आपूर्ति के मामले में, प्रयोग के उद्देश्य के लिए, ऐसा संस्थान आपूर्ति के समय आपूर्तिकर्ता को ऐसे संस्थान के प्रमुख से प्राप्त इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता हो कि ऐसे जीवित जीव जंतु की अनुसंधान के लिए जरूरत है और साथ ही वह प्राणियों पर प्रयोग के नियंत्रण और निरीक्षण के उद्देश्य संबंधी समिति के द्वारा जारी एक अनापत्ति प्रमाण पत्र भी संलग्न करता हो।

(1)	(2)	(3)	(4)
4.	क्षेत्रीय कैंसर सेंटर (कैंसर संस्थान)	(क) वैज्ञानिक और तकनीकी उपकरण, उपस्कर, औजार (कम्प्यूटर समेत); (ख) सहायक वस्तुएं, कलपूर्जे, उपभोग वाली वस्तुएं और जीवित पशु (प्रयोग के उद्देश्य से); (ग) कम्प्यूटर साफ्टवेयर काम्पेक्ट डिस्क-रीड ऑनली मेमोरी (सीडी-रोम), रिकोर्डेड मेगनेटिंग टेप्स, माइक्रोफिल्म्स, माइक्रोफिसेस;	(i) ऐसी वस्तुओं की आपूर्ति भारत सरकार के विज्ञान एवं अनुसंधान विभाग में पंजीकृत क्षेत्रीय कैंसर केंद्र को की जा रही हो और ऐसा संस्थान कम से कम भारत सरकार के उप सचिव या राज्य सरकार के उप सचिव या संघ राज्य के उप सचिव, संबंधित विभाग के, स्तर के अधिकारी से प्राप्त प्रमाणपत्र विशिष्ट माल की आपूर्ति के समय आपूर्तिकर्ता को प्रस्तुत करता हो; (ii) यह संस्थान, आपूर्ति के समय आपूर्तिकर्ता को संस्थान के प्रमुख से प्राप्त इस आशय का प्रमाणपत्र, प्रत्येक मामले में प्रस्तुत करता हो कि उक्त वस्तु अनुसंधान के उद्देश्य के लिए आवश्यक है; (iii) जीवित जंतुओं की आपूर्ति के मामले में, प्रयोग के उद्देश्य के लिए, ऐसा संस्थान आपूर्ति के समय आपूर्तिकर्ता को ऐसे संस्थान के प्रमुख से प्राप्त इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता हो कि ऐसे जीवित जीव जंतु की अनुसंधान के लिए

(1)	(2)	(3)	(4)
			जरूरत है और साथ ही वह प्राणियों पर प्रयोग के नियंत्रण और निरीक्षण के उद्देश्य संबंधी समिति के द्वारा जारी एक अनापत्ति प्रमाण पत्र भी संलग्न करता हो।

स्पष्टीकरण- इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए अभिव्यक्ति-

(क) "सार्वजनिक कोष से पोषित वित्त संस्थान" से अभिप्राय ऐसे अनुसंधान संस्थान से है जिनके व्यय का कम से कम 50 प्रतिशत केंद्र सरकार या कोई राज्य सरकार या किसी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन द्वारा वहन किया जाता हो;

(b) "विश्वविद्यालय" से अभिप्राय ऐसे विश्वविद्यालय से है जिनकी स्थापना या निगमन किसी केंद्र राज्य या प्रांतीय अधिनियम के अंतर्गत हुआ हो और इसमें शामिल हैं -

(i) ऐसा कोई संस्थान जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 3 के अंतर्गत इस अधिनियम के उद्देश्य के लिए मानद विश्वविद्यालय के रूप में घोषित किया गया हो;

(ii) ऐसा कोई संस्थान जिसे संसद के द्वारा किसी कानून के तहत राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया हो;

(iii) कोई कालेज जो किसी विश्वविद्यालय के द्वारा देखा जाता हो या उससे संबद्ध हो;

(ग) "प्रमुख" से अभिप्राय-

(i) किसी संस्थान के मामले में उसके निदेशक से है (उसे चाहे जिस नाम से भी जाना जाता हो);

(ii) किसी विश्वविद्यालय के मामले में उसके रजिस्ट्रार से है (उसे चाहे जिस नाम से भी जाना जाता हो);

(iii) किसी कालेज के मामले में उसके प्रधानाचार्य से है (उसे चाहे जिस नाम से भी जाना जाता हो);

(d) "अस्पताल" में शामिल है ऐसे कोई भी संस्थान, सेंटर, न्यास, समिति, संघ, प्रयोगशाला या मैटरनिटी होम जो कि चिकित्सा, शल्य चिकित्सा या नैदानिक सेवा प्रदान करते हों।

2. यह अधिसूचना 15 नवंबर, 2017 से प्रवृत होगी।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the **Notification No. 973/2017/9(120)/XXVII(8)/2017,** Dehradun, dated November 23, 2017 for general information:

NOTIFICATION

November 23, 2017

No. 973/2017/9(120)/XXVII(8)/2017--WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017) (hereafter in this notification referred to as "the said Act"), on the recommendations of the Council, the Governor is pleased to allow to exempt the goods specified in column (3) of the Table below, from the so much of the State tax leviable thereon under section 9 of the said Act, as in excess of the amount calculated at the rate of 2.5 percent, when supplied to the institutions specified in the corresponding entry in column (2) of the Table, subject to the conditions specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table-

Table

S. No.	Name of the Institutions	Description of the goods	Conditions
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Public funded research institution other than a hospital or a University or an Indian Institute of Technology or Indian Institute of Science, Bangalore or a National Institute Technology/ Regional Engineering College	(a) Scientific and technical instruments, apparatus, equipment (including computers); (b) accessories, parts, consumables and live animals (experimental purpose); (c) computer software, Compact Disc-Read Only Memory (CD-ROM), recorded magnetic tapes, microfilms, microfiches; (d)Prototypes, the aggregate valuc of prototypes received by an institution does not exceed fifty thousand rupees in financial year.	(i) The goods are supplied to or for – (a) a public funded research institution under the administrative control of the Department of Space or Department of Atomic Energy or the Defence Research Development Organisation of the Government of India and such institution produces a certificate to that effect from an officer not below the rank of the Deputy Secretary to the Government of India or the Deputy Secretary to the State Government or the Deputy Secretary in the

(1)	(2)	(3)	(4)
			Union Territory in the concerned department to the supplier at the time of supply of the specified goods; or (b) an institution registered with the Government of India in the Department of Scientific and Research and such institution produces a certificate from an officer not below the rank of the Deputy Secretary to the Government of India or the Deputy Secretary to the State Government or the Deputy Secretary in the Union territory in concerned department to the supplier at the time of supply of the specified goods; (ii) The institution produces, at the time of supply, a certificate to the supplier from the Head of the Institution, in each case, certifying that the said goods are required for research purposes only; (iii) In the case of supply of live animals for experimental purposes, the institution produces, at the time of supply, a certificate to the supplier from the Head of the Institution that the live animals are required for research purposes and enclose a no objection certificate issued by the Committee for the Purpose of Control and

(1)	(2)	(3)	(4)
			Supervision of Experiments on Animals.
2.	Research institution, other than a hospital	(a) Scientific and technical instruments, apparatus, equipment (including computers); (b) accessories, parts, consumables and live animals (experimental purpose); (c) computer software, Compact Disc-Read Only Memory (CD-ROM), recorded magnetic tapes, microfilms, microfiches; (d) Prototypes, the aggregate value of prototypes received by an institution does not exceed fifty thousand rupees in a financial year.	(1) The institution is registered with the Government of India in the Department of Scientific and Research, which- (i) produces, at the time of supply, a certificate to the supplier from the head of the institution, in each case, certifying that the said goods are essential for research purposes and will be used for stated purpose only; (ii) in the case of supply of live animals for experimental purposes, the institution produces, at the time of supply, a certificate to the supplier from the Head of the Institution that the live animals are required for research purposes and enclose a no objection certificate issued by the Committee for the Purpose of Control and Supervision of Experiments on Animals. (2) The goods falling under (1) above shall not be transferred or sold by the institution for a period of five years from the date of installation.
3.	Departments and laboratories of the Central Government and State Governments, other than a hospital	(a) Scientific and technical instruments, apparatus, equipment (including computers); (b) accessories, parts, consumables and live	(i) The institution produces, at the time of supply, a certificate to the supplier from the Head of the Institution, in each case, certifying that the

(1)	(2)	(3)	(4)
		animals (experimental purpose); (c) Computer software, Compact Disc-Read Only Memory(CD-ROM), recorded magnetic tapes, microfilms, microfiches; (d) Prototypes, the aggregate value of prototypes received by an institution does not exceed fifty thousand rupees in a financial year.	said goods are required for research purposes only; (ii) in the case of supply of live animals for experimental purposes, the institution produces, at the time of supply, a certificate to the supplier from the Head of the Institution that the live animals are required for research purposes and enclose a no objection certificate issued by the Committee for the Purpose of Control and Supervision of Experiments on Animals.
4.	Regional Cancer Centre (Cancer Institute)	(a) Scientific and technical instruments, apparatus, equipment (including computers); (b) accessories, parts, consumables and live animals (experimental purpose); (c) Computer software, Compact Disc-Read Only Memory(CD-ROM), recorded magnetic tapes, microfilms, microfiches.	(i) The goods are supplied to the Regional Cancer Centre registered with the Government of India, in the Department of Scientific and Research and such institution produces a certificate from an officer not below the rank of the Deputy Secretary to the Government of India or the Deputy Secretary to the State Government or the Deputy Secretary in the Union territory in concerned department to the supplier at the time of supply of the specified goods; (ii) the institution produces, at the time of supply, a certificate to the supplier from the Head of the Institution, in each case, certifying that the said goods are required for research purposes only;

(1)	(2)	(3)	(4)	
			(iii) in case of supply of live animals for experimental purposes, the institution produces, at the time of supply, a certificate to the supplier from the Head of the Institution that the live animals are required for research purposes and enclose a no objection certificate issued by the Committee for the Purpose of Control and Supervision of Experiments on Animals.	

Explanation. - For the purposes of this notification, the expression, -

(a) "Public funded research institution" means a research institution in the case of which not less than fifty per-cent. of the recurring expenditure is met by the Central Government or the Government of any State or the administration of any Union territory;

(b) "University" means a University established or incorporated by or under a Central, State or Provincial Act and includes -

(i) an institution declared under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956) to be a deemed University for the purposes of this Act;

(ii) an institution declared by Parliament by law to be an institution of national importance;

(iii) a college maintained by, or affiliated to, a University;

(c) "Head" means -
(i) in relation to an institution, the Director thereof (by whatever name called);

(ii) in relation to a University, the Registrar thereof (by whatever name called);

(iii) in relation to a college, the Principal thereof (by whatever name called);

(d) "hospital" includes any Institution, Centre, Trust, Society, Association, Laboratory, Clinic or Maternity Home which renders medical, surgical or diagnostic treatment.

2. This notification shall come into force with effect from the 15th day of November, 2017.

अधिसूचना

23 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 974/2017/9(120)/XXVII(8)/2017—चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 9 की उप-धारा (1), धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 15 की उप-धारा (5) और धारा 16 की उप-धारा (1) सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904(उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग-8 की अधिसूचना संख्या 525/2017/9(120)/ XXVII(8)/2017 दिनांक 29 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, तालिका में, -

(i) क्रम सं. 3 के समक्ष, मद (vi) में, कॉलम (3) में शब्द "सेवा" के स्थान पर "की गई उत्तराखण्ड माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 2 के उपवाक्य (119) में यथा परिभाषित निर्माण अनुबंध की संयुक्त आपूर्ति हो" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) क्रम सं. 7 के समक्ष,-

(क) कॉलम (3) की मद सं. (i) और उससे संबंधित प्रविष्टियों, जो कि कॉलम (3), (4) और (5) में दी गई हैं, के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)	(4)	(5)
"(i) ऐसी वस्तुओं की किसी सेवा के रूप में या उसके हिस्से के रूप में, या अन्य किसी भी प्रकार से की जाने वाली आपूर्ति जो कि खाद्य पदार्थ या अन्य किसी वस्तु के रूप में हों, जिसका कि मानव के द्वारा उपभोग किया जाता हो या जो पेय के रूप में हो, जहांकि ऐसी आपूर्ति या सेवा नकद, आस्थगित भुगतान या मूल्यवान प्रतिफल के एवज में हो, और जिसे किसी रेस्तरां, इटिंग ज्वाइन्ट, द्वारा की गई हो जिसमें मेस, और कैन्टीन भी आते हैं, जो कि उनसे भिन्न हैं जो किसी होटल, सराय, गैस्ट हाउस, क्लब्स, संयुक्त या अन्य प्रकार के वाणिज्यिक स्थानों के परिसर में अवस्थित हैं जिनका प्रयोग आवासीय या ठहरने के उद्देश्य के लिए किया जाता हो तथा जिनके किसी आवासीय इकाई का घोषित टैरिफ प्रति ईकाई सात हजार पांच सौ	2.5	बशर्ते सेवा की पूर्ति करने में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय नहीं लिया गया है । (कृपया स्पष्टीकरण सं. (iv) देखें)";

(3)	(4)	(5)	
रूपये और इससे अधिक हो या समकक्ष । स्पष्टीकरण - "घोषित टैरिफ" के अंतर्गत आवास (ठहरने के लिए किराए पर दिया गया) की यूनिट में उपलब्ध कराई गई सभी सुख-सुविधाओं, जैसे फर्नीचर, वातानुकूलक, रेफ्रिजिरेटर या कोई अन्य सुख-सुविधाएं, के लिए प्रभार आते हैं किन्तु ऐसी यूनिट के लिए प्रकाशित प्रभारों पर प्रतिस्थापित किसी मितिकाटा को अपवर्जित किए बिना ।			

(ख) कॉलम (3) की मद सं. (iii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों, जो कि कॉलम (3), (4) और (5) में दी गई हैं, के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)	(4)	(5)
"(iii) ऐसी वस्तुओं की किसी सेवा के रूप में या उसके हिस्से के रूप में, या अन्य किसी भी प्रकार से की जाने वाली आपूर्ति जो कि खाद्य पदार्थ या अन्य किसी वस्तु के रूप में हों, जिसका कि मानव के द्वारा उपभोग किया जाता हो या जो पेय के रूप में हो, जहांकि ऐसी आपूर्ति या सेवा नकद, आस्थगित भुगतान या मूल्यवान प्रतिफल के एवज में हो, और जिसे किसी रेस्तरां, इटिंग ज्वाइन्ट, द्वारा की गई हो जिसमें मेस, और कैन्टीन भी आते हैं, जो कि किसी होटल, सराय, गैस्ट हाउस, क्लब्स, संयुक्त या अन्य प्रकार के वाणिज्यिक स्थानों के परिसर में अवस्थित हैं जिनका प्रयोग आवासीय या ठहरने के उद्देश्य के लिए किया जाता हो तथा जिनके किसी आवासीय इकाई का घोषित टैरिफ प्रति ईकाई सात हजार पांच सौ रूपये और इससे अधिक हो या समकक्ष। स्पष्टीकरण- "घोषित टैरिफ" के अंतर्गत आवास (ठहरने के लिए किराए पर दिया गया) की यूनिट में उपलब्ध कराई गई सभी सुख-सुविधाओं, जैसे फर्नीचर, वातानुकूलक, रेफ्रिजिरेटर या कोई अन्य सुख-सुविधाएं, के लिए प्रभार आते हैं किन्तु ऐसी यूनिट के लिए प्रकाशित प्रभारों पर प्रस्थापित किसी मितिकाटा को अपवर्जित किए बिना ।	9	–";

(ग) कॉलम (3) की मद सं. (iv) और उससे संबंधित प्रविष्टियों, जो कि कॉलम (3), (4) और (5) में दी गई हैं, को निरसित कर दिया जाएगा;

(घ) मद (ix) में, कालम (3) में दी गई प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा: -

"(ix) आवास , भोजन ओर पेय सुविधाएं जो कि उपर्युक्त (ii), (iii), (v), (vi), (vii) और (viii) से भिन्न हों । स्पष्टीकरण— किसी भी प्रकार के संदेह के समाधान के लिए एततद्वारा स्पष्ट किया जाता है कि ऐसी वस्तुओं की किसी सेवा के रूप में या उसके हिस्से के रूप में, या अन्य किसी भी प्रकार से की जाने वाली आपूर्ति जो कि खाद्य पदार्थ या अन्य किसी वस्तु के रूप में हों, जिसका कि मानव के द्वारा उपभोग किया जाता हो या जो पेय के रूप में हो, जहां कि ऐसी आपूर्ति या सेवा नकद, आस्थगित भुगतान या मूल्यवान प्रतिफल के एवज में हो, और जिसे किसी रेस्तरां, इटिंग ज्वाइन्ट, द्वारा की गई हो जिसमें मेस, और कैन्टीन भी आते हैं, जो कि उनसे भिन्न हैं जो किसी होटल, सराय, गैस्ट हाउस, क्लब्स, संयुक्त या अन्य प्रकार के वाणिज्यिक स्थानों के परिसर में अवस्थित हैं जिनका प्रयोग आवासीय या ठहरने के उद्देश्य के लिए किया जाता हो तथा जिनके किसी आवासीय इकाई का घोषित टैरिफ प्रति ईकाई सात हजार पांच सौ रूपये और इससे अधिक हो या समकक्ष पर उपर्युक्त मद (i) के अंतर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट के बिना 2.5 प्रतिशत की दर से राज्य कर लगाया जाएगा न कि उस दर से जो कि इस प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है।"

(iii) क्रम स. 26 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (i) में, उप-मद (ज) के पश्चात निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा-

"(झ) हस्तशिल्प वस्तुओं का विनिर्माण;

स्पष्टीकरण- "हस्तशिल्प वस्तुओं" का अभिप्राय वही होगा जो इसके लिए अधिसूचना सं. 801/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 दिनांक 12 अक्टूबर 2017, समय-समय पर यथा-संशोधित, में दिया गया है।"

2. यह अधिसूचना 15 नवंबर, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the **Notification No. 974/2017/9(120)/XXVII(8)/2017,** Dehradun, dated November 23, 2017 for general information:

NOTIFICATION

November 23, 2017

No. 974/2017/9(120)/XXVII(8)/2017--WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15 and sub-section (1) of section 16 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017) read with section 21 of Uttar Pradesh General Clause Act, 1904(as applicable to the State of Uttarakhand), on the recommendations of the Council, the Governor is pleased to allow to make the following further amendments in the notification of the Government of Uttarakhand, Finance Section-8, No. 525/2017/9(120)/ XXVII(8)/2017 Dated 29 June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, -

(i) against serial number 3, in column (3), in item (vi), for the words "Services provided", the words "Composite supply of works contract as defined in clause (119) of section 2 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017, provided" shall be substituted;

(ii) against serial number 7,-

(a) for item (i) in column (3) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely:-

(3)	(4)	(5)
"(i) Supply, by way of or as part of any service or in any other manner whatsoever, of goods, being food or any other article for human consumption or drink, where such supply or service is for cash, deferred payment or other valuable consideration, provided by a restaurant, eating joint including mess, canteen, whether for consumption on or away from the premises where such food or any other article for human consumption or drink is supplied, other than those located in the premises of hotels, inns, guest houses, clubs, campsites or other commercial places meant for residential or lodging purposes having declared tariff of any unit of accommodation of seven thousand five hundred rupees and above per unit per day or equivalent. *Explanation.*- "declared tariff" includes charges for all amenities provided in the unit of accommodation (given on rent for stay) like furniture, air conditioner, refrigerators or any other amenities, but without excluding any discount offered on the published charges for such unit.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken [Please refer to *Explanation* no. (iv)].":

(b) for item (iii) in column (3) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely:-

(3)	(4)	(5)
"(iii) Supply, by way of or as part of any service or in any other manner whatsoever, of goods, being food or any other article for human consumption or any drink, where such supply or service is for cash, deferred payment or other valuable consideration, provided by a restaurant, eating joint including mess, canteen, whether for consumption on or away from the premises where such food or any other article for human consumption or drink is supplied, located in the premises of hotels, inns, guest houses, clubs, campsites or other commercial places meant for residential or lodging purposes having declared tariff of any unit of accommodation of seven thousand five hundred rupees and above per unit per day or equivalent. *Explanation.*- "declared tariff" includes charges for all amenities provided in the unit of accommodation (given on rent for stay) like furniture, air conditioner, refrigerators or any other amenities, but without excluding any discount offered on the published charges for such unit.	9	-";

(c)the item (iv) in column (3) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), shall be omitted;

(d)in item (ix), in column (3), for the entry, the following entry shall be substituted, namely:-

"(ix) Accommodation, food and beverage services other than (ii), (iii), (v), (vi), (vii) and (viii) above.

Explanation.- For the removal of doubt, it is hereby clarified that, supply, by way of or as part of any service or in any other manner whatsoever, of goods, being food or any other article for human consumption or drink, where such supply or service is for cash, deferred payment or other valuable consideration, provided by a restaurant, eating joint including mess, canteen, whether for consumption on or away from the premises where such food or any other article for human consumption or drink is supplied, other than those located in the premises of hotels, inns, guest houses, clubs, campsites or other commercial places meant for residential or lodging purposes

having declared tariff of any unit of accommodation of seven thousand five hundred rupees and above per unit per day or equivalent shall attract State tax @ 2.5% without any input tax credit under item (i) above and shall not be levied at the rate as specified under this entry.";

(iii) against serial number 26, in column (3), in item (i), after sub-item (h), the following shall be inserted, namely: -

'(i) manufacture of handicraft goods.

Explanation. - The expression "handicraft goods" shall have the same meaning as assigned to it in the notification No. 801/2017/9(120)/XXVII(8)/2017, dated the 12th October, 2017 as amended from time to time.'.

2. This notification shall come into force with effect from 15th of November, 2017.

अधिसूचना

23 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 975/2017/9(120)/XXVII(8)/2017–चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 11 की उपधारा (1) सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904(उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग-8 की अधिसूचना संख्या 530/2017/9(120)/ XXVII(8)/2017 दिनांक 29 जून, 2017 में निम्नलिखित अग्रेतर संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात् –

(i) उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

(क)क्रम सं. 11क के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"कमीशन या मार्जिन के रूप में किसी प्रतिफल के एवज में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान, मिट्टी का तेल, चीनी, खाद्य तेल आदि की बिक्री के माध्यम से केंद्र सरकार, राज्य सरकार या संघ-राज्य को उचित दर दुकानों के द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा।";

(ख)क्रम सं. 11ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा,

(ग)क्रम सं. 79 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"79क	शीर्ष 9996	प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958 (अधिनियम सं0 24 सन् 1958) के अंतर्गत या किसी राज्य अधिनियम के अंतर्गत घोषित संरक्षित स्मारक में प्रवेश के माध्यम से दी जाने वाली सेवाएं।	कुछ नहीं	कुछ नहीं

2. यह अधिसूचना 15 नवंबर, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

आज्ञा से,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the **Notification No. 975/2017/9(120)/ XXVII(8)/2017,** Dehradun, dated November 23, 2017 for general information:

NOTIFICATION

November 23, 2017

No. 975/2017/9(120)/XXVII(8)/2017--WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017) read with section 21 of Uttar Pradesh General Clause Act, 1904(as applicable to the State of Uttarakhand), on the recommendations of the Council, the Governor is pleased to allow to make the following further amendments in the notification of the Government of Uttarakhand, Finance Section-8, No. 530/2017/9(120)/ XXVII(8)/2017 Dated 29 June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, -

(a) against serial number 11A,for the entry in column (3), the following entry shall be substituted namely: -

"Service provided by Fair Price Shops to Central Government, State Government or Union territory by way of sale of food grains, kerosene, sugar, edible oil, etc. under Public Distribution System against consideration in the form of commission or margin.";

(b) the serial number 11B and the entries relating thereto, shall be omitted;

(c) after serial number 79 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"79A	Heading 9996	Services by way of admission to a protected monument so declared under the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958) or any of the State Acts, for the time being in force	Nil	Nil"

2. This notification shall come into force with effect from 15th of November, 2017.

By Order,

RADHA RATURI,
Principal Secretary.

विपिन चन्द्र,
एडिशनल कमिश्नर राज्य कर,
मुख्यालय, देहरादून।

कार्यालय राज्य कर आयुक्त, उत्तराखण्ड

(विधि–अनुभाग)

30 नवम्बर, 2017

समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्य0/प्रव0), राज्य कर,
देहरादून/हरिद्वार/रुड़की/रूद्रपुर/हल्द्वानी सम्भाग।

पत्रांक-4110/स0कर-आयु0-उत्तस0/स0क0मु0/विधि–अनुभाग/17–18/देहरादून–उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग–8 द्वारा जारी अधिसूचना संख्याएं 976/2017/9(120)/XXVII(8)/2017; 977/2017/9(120)/XXVII(8)/2017; 978/2017/9(120)/XXVII(8)/2017; 979/2017/9(120)/XXVII(8)/2017; 980/2017/9(120)/XXVII(8)/2017; 981/2017/9(120)/XXVII(8)/2017; 982/2017/9(120)/XXVII(8)/2017; 983/2017/9(120)/XXVII(8)/2017; 984/2017/9(120)/XXVII(8)/2017; 985/2017/9(120)/XXVII(8)/2017; 986/2017/9(120)/XXVII(8)/2017; 987/2017/9(120)/XXVII(8)/2017; एवं 988/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 समदिनांकित 23 नवम्बर, 2017 का संदर्भ ग्रहण करें, जिनके द्वारा क्रमशः केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन नियुक्त अधिकारी को सीजीएसटी की धारा 54 या धारा 55 के अधीन प्रतिदाय की मंजूरी के प्रयोजनों के लिए समुचित अधिकारियों के रूप में कार्य करने की स्वीकृति प्रदान करने; रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में सकल आवर्त एक करोड़ पचास लाख रुपये से अधिक नहीं था या उस वर्ष में जिसमें रजिस्ट्रीकरण करवाया है, में सकल आवर्त एक करोड़ पचास लाख से कम होने की सम्भावना है द्वारा जावक पूर्ति पर राज्य कर का संदाय किये जाने; अधिसूचना संख्याएं 801 दिनांक 12 अक्टूबर, 2017; अधिसूचना संख्याएं 522; 514; 518; 515; 513 समादिनांकित 29 जून, 2017 में संशोधन; मोटर व्हीकल पर लागू राज्य कर की दर का 65 प्रतिशत शर्त के अधीन; अधिसूचना संख्याएं 525; 530 एवं 526 समदिनांकित 29 जून, 2017 में संशोधन किये जाने तथा उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (कठिनाई निवारण) आदेश 2017 जारी किये जाने विषयक है।

उपरोक्त अधिसूचना की प्रतियां आपको इस आशय से प्रेषित है कि उक्त अधिसूचनाओं की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ समस्त कर–निर्धारण अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु तथा बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को सूचनार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

वित्त अनुभाग–8

अधिसूचना

23 नवम्बर, 2017 ई०

संख्या 976/2017/9(120)/XXVII(8)/2017–श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) (जिसे इस अधिसूचना में एतत् पश्चात् "उत्तराखण्ड जीएसटी अधिनियम" कहा गया है) की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, यह विनिर्दिष्ट करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि केन्द्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस अधिसूचना में एतत् पश्चात् "सीजीएसटी अधिनियम" कहा गया है), के अधीन नियुक्त अधिकारी, जो सीजीएसटी अधिनियम की धारा 54 या धारा 55 के प्रयोजनों के लिए बोर्ड के आयुक्त द्वारा समुचित अधिकारियों (जिन्हें इस अधिसूचना में एततपश्चात् "उक्त अधिकारी" कहा गया है) के रूप में प्राधिकृत हैं, उत्तराखण्ड जीएसटी अधिनियम के अधीन बनाए गये नियमों के साथ पठित सीजीएसटी अधिनियम की धारा 54 या धारा 55 के अधीन, उक्त अधिकारियों की राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता में अवस्थित किसी ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के सम्बन्ध में, जो उक्त अधिकारियों को प्रतिदाय की मंजूरी के लिए आवेदन करता है, प्रतिदाय की मंजूरी के प्रयोजनों के लिए समुचित अधिकरियों के रूप में कार्य करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. यह अधिसूचना दिनांक 13 अक्टूबर, 2017 से प्रवृत्त समझी जाएगी।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the **Notification No. 976/2017/9(120)/XXVII(8)/2017,** Dehradun, dated November 23, 2017 for general information:

NOTIFICATION

November 23, 2017

No. 976/2017/9(120)/XXVII(8)/2017--In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017) (hereafter in this notification referred to as "Uttarakhand GST Act"), on the recommendations of the Council, the Governor, is pleased to allow to specify that the officers appointed under the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as "CGST Act") who are authorized to be the proper officers for the purposes of section 54 of section 55 of the CGST Act (hereafter in this notification referred to as "the said officers") by the Commissioner in the Board, shall act as proper officers for the purpose of sanction of refund the rules made under the Uttarakhand GST Act read with section 54 of section 55 of CGST Act in respect of a registered person located in the territorial Jurisdiction of the said officers who applies for the sanction of refund to the said officers.

2. This notification shall deemed to come into force from 13th day of October, 2017

अधिसूचना

23 नवम्बर, 2017 ई०

संख्या 977/2017/9(120)/XXVII(8)/2017—चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) (जिसे इस अधिसूचना में एतत्पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में सकल आवर्त एक करोड़ पचास लाख रूपए से अधिक नहीं था या कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसकी उस वर्ष में जिसमें ऐसे व्यक्ति ने रजिस्ट्रीकरण करवाया है, में सकल आवर्त एक करोड़ पचास लाख रुपए से कम होने की संभावना है और जिसने उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन संयुक्त उद्ग्रहण का विकल्प नहीं लिया था, ऐसे व्यक्तियों के प्रवर्ग के रूप में अधिसूचित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, जो उन परिस्थितियों में जो उक्त अधिनियम की धारा 14 के उपबंधों को आकर्षित करती है सहित उक्त अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के खंड (क) में यथाविनिर्दिष्ट पूर्ति के समय माल की जावक पूर्ति पर राज्य कर का संदाय करेगा, और तदनुसार उक्त अधिनियम के अध्याय 9 और उसके अधीन बनाए गए नियमों में यथाविनिर्दिष्ट ब्यौरे और विवरणी को प्रस्तुत करेगा और रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग द्वारा कर के संदाय के लिए विहित अवधि वह होगी जो उक्त अधिनियम में विनिर्दिष्ट है।

2. यह अधिसूचना दिनांक 13 अक्टूबर, 2017 से प्रवृत समझी जाएगी ।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the **Notification No. 977/2017/9(120)/XXVII(8)/2017,** Dehradun, dated November 23, 2017 for general information:

NOTIFICATION

November 23, 2017

No. 977/2017/9(120)/XXVII(8)/2017--WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 148 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the 'said Act'), on the recommendations of the Council, the Governor is pleased to allow to notify the registered persons whose aggregate turnover in the preceding financial year did not exceed one crore and fifty lakh rupees or the registered person whose aggregate turnover in the year in which such person has obtained registration is likely to be less than one crore and fifty lakh rupees and who did not opt for the composition levy under section10 of the said Act as the class of persons who shall pay the State tax on the outward supply of goods at the time of supply as specified in clause (a) of sub-section (2) of section 12 of the said Act including in the situations attracting the provisions of section 14 of the said Act, and shall accordingly furnish the details and returns as mentioned in Chapter IX of the said Act and the rules made thereunder and the period prescribed for the payment of tax by such class of registered persons shall be such as specified in the said Act.

2. This notification shall deemed to come into force from 13th day of October, 2017.

अधिसूचना

23 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 978/2017/9(120)/XXVII(8)/2017–चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 23 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग–8 की अधिसूचना संख्या 801/2017/9(120) /XXVII(8)/2017 दिनांक 12 अक्टूबर, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात्:-

1. उक्त अधिसूचना की सारणी में–

(i) क्रम सं. 9 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"9	टैक्सटाइल (हथकरघा उत्पाद) ,हाथ से बनी शालें, स्टोल और स्कार्फ	62,63 ,61 ,58 ,50 सहित";

(ii) क्रम सं. 28 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"29	शृंखला टांका	कोई अध्याय
30	क्रिवेल ,नामदा ,गाबा	कोई अध्याय
31	खपच्ची भिसा उत्पाद	कोई अध्याय
32	तोरण	कोई अध्याय
33	शोला से बनी चीजें	कोई अध्याय"।

2. यह अधिसूचना दिनांक 13 अक्टूबर, 2017 से प्रवृत्त समझी जाएगी ।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the **Notification No. 978/2017/9(120)/ XXVII(8)/2017,** Dehradun, dated November 23, 2017 for general information:

NOTIFICATION

November 23, 2017

No. 978/2017/9(120)/XXVII(8)/2017--WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 23 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017), on the recommendations of the Council, the Governor is pleased to allow to make the following amendments in the notification of the Government of Uttarakhand Finance Section-8, No. 801/2017/9(120)/ XXVII(8)/2017 Dated 12 October, 2017; namely:-

1. In the said notification, in the Table –

(i) for serial number 9 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

"9	Textile (handloom products), Handmade shawls, stoles and scarves	Including 50, 58, 61, 62, 63";

(ii) after serial number 28 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

"29	Chain stitch	Any chapter
30	Crewel, namda, gabba	Any chapter
31	Wicker willow products	Any chapter
32	Toran	Any chapter
33	Articles made of shola	Any chapter".

2. This notification shall deemed to come into force from 13th day of October, 2017.

अधिसूचना

23 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 979/2017/9(120)/XXVII(8)/2017–चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग–8 की अधिसूचना संख्या 522/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 दिनांक 29 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात्:-

1. उक्त अधिसूचना में पैरा 1 के अधीन परंतुक का लोप किया जाएगा।

2. इस अधिसूचना द्वारा यथासंशोधित अधिसूचना संख्या 522/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 दिनांक 29 जून, 2017 में अंतर्विष्ट छूट 31 मार्च, 2018 तक सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को लागू होगी।

3. यह अधिसूचना दिनांक 13 अक्टूबर, 2017 से प्रवृत्त समझी जाएगी ।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the **Notification No. 979/2017/9(120)/ XXVII(8)/2017,** Dehradun, dated November 23, 2017 for general information:

NOTIFICATION

November 23, 2017

No. 979/2017/9(120)/XXVII(8)/2017--WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017), on the recommendations of the Council, the Governor is pleased to allow to make the following amendment in the notification of the Government of Uttarakhand Finance Section-8, No. 522/2017/9(120)/ XXVII(8)/2017 Dated 29 June, 2017; namely:-

1. In the said notification, the proviso under Paragraph 1 shall be omitted.
2. The exemption specified in the notification no. 522/2017/9(120)/XXVII(8)/ 2017 Dated 29 June, 2017, as amended by this notification shall apply to all registered persons till the 31st day of March, 2018.
3. This notification shall deemed to come into force from 13th day of October, 2017.

अधिसूचना

23 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 980/2017/9(120)/XXVII(8)/2017—चूँकि, राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 9 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग-8 की अधिसूचना सं. 514/2017/9(120) /XXVII(8)/2017 दिनांक 29 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात्:-

1. उक्त अधिसूचना में, -

(क) अनुसूची I – 2.5% में,-

(i) क्रम सं. 29 में कालम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि, "0802, 0813", को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) क्रम संख्या 30 और संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा; अर्थात्–

"30 (क)	0804	आम कटे हुए, सुखाए हुए";

(iii) क्रम संख्या 99 और संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा ; अर्थात्–

"99 (क)	1905 या 2106	खाखरा, प्लेन चपाती/रोटी ";

(iv) क्रम संख्या 101 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा;

"101 (क)	2106 90	नमकीन, भुजिया, मिक्चर, चबेना और इसी प्रकार के अन्य उत्पाद जो कि तत्काल खाए जा सकते हैं, उनसे भिन्न जो कि यूनिट कंटेनरों में बंद हों, और- (क) जिन पर पंजीकृत ब्रांड नाम लिखा हो; या (ख) ऐसा ब्रांड नाम लिखा हो जिस पर किसी कानून के न्यायालय में दावा किया जा सकता हो या अधिकार को लागू कराया जा सकता है [उनसे भिन्न जहां कि ऐसे ब्रांड नाम से संबंधित कार्रवाई योग्य किसी दावे या प्रवर्तनीय अधिकार का अनुबंध में यथा उल्लिखित शर्तों के अधीन रहते हुए स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया हो]";

(v) क्रम संख्या 164 के कॉलम (3) में प्रविष्टि "" प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(क) केरोसिन ऑइल, पीडीएस, बंकर फ्यूल

(ख) जहाज अथवा जलयान में प्रयोग हेतु निम्नलिखित बंकर फ्यूल; अर्थात–

(i) IFO 180 CST
(ii) IFO 380 CST

(vi) क्रम संख्या 181 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"181 (क)	30	औषधि द्रव्य)जिसमें आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी या जैव रसायन प्रणालियों में प्रयुक्त औषधि-द्रव्य भी है) जिनका विनिर्माण अनन्य के रूप में, यथास्थिति, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राधिकृत पुस्तकों या भारतीय होम्योपैथी भेषज-संग्रह या संयुक्त राज्य अमेरिका या यूनाइटेड किंगडम या जर्मन होम्योपैथी भेषज-संग्रहों में वर्णित फार्मूलों के अनुसार किया जाता है और ऐसी पुस्तकों या भेषज संग्रहों में यथा-विनिर्दिष्ट नाम के अधीन बेचे जाते हैं।";

(vii) क्रम संख्या 187 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"187 (क)	3915	प्लास्टिक के वेस्ट, पेयरिंग्स एंड स्क्रैप्स";

(viii) क्रम संख्या 188 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"188(क)	4004 00 00	रबर के वेस्ट, पेयरिंग्स एंड स्क्रैप्स (हार्ड रबर से भिन्न)";

(ix) क्रम संख्या 191 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"191 क	4017	हार्ड रबर के वेस्ट एंड स्क्रैप"

(x) क्रम संख्या 198 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"198 क	4707	पेपर या पेपर बोर्ड के रिकवर्ड वेस्ट एंड स्क्रैप"

(xi) क्रम संख्या 201 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित कर दिया जाएगा।

(xii) क्रम सं0 218 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"218क	5605 0010	रीयल जरी थ्रेड (गोल्ड) या सिल्वर थ्रेड, जो टेक्सटाइल थ्रेड से युक्त हो "

(xiii) क्रम सं. 219 में, कॉलम (2) में अंक "5705" के स्थान पर "5702, 5703, 5705" अंकों को प्रतिस्थापित किया जाएगा,

(xiv) क्रम संख्या 228 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा; अर्थात्–

"228क	7001	ग्लास के क्लेट या अन्य वेस्ट या स्क्रैप" ;

(xv) क्रम संख्या 234 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"234क	84 या 85	ई-वेस्ट स्पष्टीकरण:- इस प्रविष्टि के उद्देश्य के लिए ई-वेस्ट का मतलब है कि, ई-वेस्ट (मेन्जमेन्ट) नियम 2016 (भारत के राजपत्र में प्रकाशित सा0का0नि0 338(अ) दिनांक 23 मार्च, 2016) की अनुसूची-I में सूचीबद्ध इलेक्ट्रीकल तथा इलेक्ट्रानिक उपकरण, जिसमें अवयव, उपभोज्य, भाग तथा स्पयेर जो इन उपकरणों को परिचालन के योग्य बनाते हैं ".

(xvi) क्रम संख्या 263 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"264	कोई अध्याय	बायोमॉस ब्रिक्वेट्स"

(ख) अनुसूची II-6% में, -

(i) क्रम सं. 16 में, कॉलम (3) में शब्द और कोष्ठक "खजूर (मुलायम या कठोर), अंजीर, अनन्नास, एवोकैडो, अमरूद, आम और मैंगो स्टीन, सूखे हुए" के स्थान पर शब्द और कोष्ठक "खजूर (मुलायम या कठोर), अंजीर, अनन्नास, एवोकैडो, अमरूद, और मैंगो स्टीन, सूखे हुए" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) क्रम संख्या 17 में, कॉलम (3) में, शब्द और अंक "अध्याय 8 के शुष्कित फल", के स्थान पर शब्द, अंक और कोष्ठक, " अध्याय 8 के सूखे फल [सूखी इमली और सूखे चेस्टनट (सिंघाडा) चाहे ये छिल्का युक्त हों या नहीं, से भिन्न]", को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iii) क्रम संख्या 46 में, कॉलम (3) की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा; यथा :-

नमकीन, भुजिया, मिक्चर, चबेना और इसी प्रकार के अन्य उत्पाद जो कि तत्काल खाए जा सकते हैं, उनसे भिन्न जो कि यूनिट कंटेनरों में बंद हों और

(क) जिन पर पंजीकृत ब्रांड नाम लिखा हो; या

(ख) ऐसा ब्रांड नाम लिखा हो जिस पर किसी कानून के न्यायालय में दावा किया जा सकता हो या अधिकार को लागू कराया जा सकता है [उनसे भिन्न जहां कि ऐसे ब्रांड नाम से संबंधित कार्रवाई योग्य किसी दावे या प्रवर्तनीय अधिकार का अनुबंध में यथा उल्लिखित शर्तों के अधीन रहते हुए स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया हो]

(iv) क्रम संख्या 111 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित कर दिया जाएगा;

(v) क्रम संख्या 132 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"132क	5401	मानव निर्मित फिलामेंट के सिलाई धागे, चाहे खुदरा बिक्री के लिए हों या नहीं
132 ख	5402, 5403, 5404, 5405, 5406	सैंथेटिक अथवा आर्टिफिशयल फिलामेंट यार्न
132ग	5508	मानव निर्मित स्टेपल फाइबर्स के सिलाई धागे
132घ	5509, 5510, 5511	मानव निर्मित स्टेपल फाइबर्स के यार्न

(vi) क्रम संख्या 137 में , कॉलम (3) की प्रविष्टि में, शब्दों और अंकों "जैसे टैक्सटाइल धागा का समिश्रण वाला जरी धागा (स्वर्ण) और रजत धागा," को निरसित किया जायेगा ।

(ग) अनुसूची III में – 9%

(i) क्रम संख्या 16 में, कॉलम (3) में "पिज्जा ब्रेड" शब्दों के स्थान पर "पिज्जा ब्रेड, खाखरा, प्लेन चपाती या रोटी" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(ii) क्रम संख्या 23 में, कालम (3) में "तुरंत खाये जा सकने वाले पदार्थों" शब्दों के स्थान पर "तुरंत खाये जा सकने वाले पदार्थों, खाखरा" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(iii) क्रम संख्या 54 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. तथा प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"54क	3213	पोस्टर कलर";

(iv) क्रम सं. 63 में, कॉलम (3) में शब्द और कोष्ठक, "माडलिंग पेस्ट, जिसमें जो बच्चों के खेलने के लिए हैं वे भी आते हैं; दन्त चिकित्सा में प्रयोग होने वाले उत्पाद, जो बेसिस प्लास्टर (कैल्साइंड जिप्सम या कैल्सियम सल्फेट के) आधारित हों" के स्थान पर शब्द और कोष्ठक "दन्त चिकित्सा में प्रयोग होने वाले अन्य उत्पाद, जो प्लास्टर (कैल्साइंड जिप्सम या कैल्सियम सल्फेट के) आधारित हों;" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(v) क्रम संख्या 102 तथा उससे संबंधित प्रविष्टि को लोप किया जाएगा,

(vi) क्रम संख्या 114 में, कॉलम (3) में शब्दों" रबर के वेस्ट, पेयरिंग्स एंड स्क्रैप्स (हार्ड रबर से भिन्न) तथा उनसे प्राप्त पाउडर तथा ग्रेनुअल्स" के स्थान पर शब्दों" रबर के वेस्ट, पेयरिंग्स एंड स्क्रैप्स (हार्ड रबर से भिन्न) से प्राप्त पाउडर तथा ग्रेनुअल्स" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(vii) क्रम संख्या 158 तथा इससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

(viii) क्रम संख्या 159 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि में शब्दों "सिंथेटिक फिलामेंट यार्न के अलावा अन्य सभी सामान" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ix) क्रम संख्या 160 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि में शब्दों "कृत्रिम फिलामेंट यार्न के अलावा अन्य सभी सामान" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(x) क्रम संख्या 164 तथा इससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

(xi) क्रम संख्या 165 तथा इससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

(xii) क्रम संख्या 177 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा; अर्थात–

"177क	6802	निम्न को छोड़कर सभी वस्तु :- i. मार्बल और ग्रेनाइट की सभी वस्तुएं ii. मूर्तियों, प्रतिमाएं, पेडस्टल्स; उच्च या कम राहतें, पार, जानवरों के आकृति, कटोरे, फूलदान, कप, कैचौ बक्से, लेखन सेट, ऐशट्रे, पेपर वज़न, कृत्रिम फल और पत्ते आदि। पत्थर के अन्य सजावटी सामान

(xiii) क्रम संख्या 188 तथा इससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

(xiv) क्रम संख्या 303 और उससे प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् –

"303क	8305	लूज लीप बांडर्स या फाइल्स की फिटिंग्स लेटर क्लिप्स, लेटर कार्नर्स , पेपर क्लिप्स, इंडेक्सिंग टैक्स, और इसी प्रकार की कार्यालीय वस्तुएं, जो कि बेस मेटल से बनी हों; स्टेपल, स्ट्रिप्स (उदाहरणार्थ कार्यालय, अपहोल्स्ट्री, पैकेजिंग के लिए) बेस मेटल के";

(xv) क्रम सं. 308 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"308क	84	फिक्स्ड स्पीड डीजल इंजन, जिनकी शक्ति 15 एचपी से अधिक न हो, में एक मात्र रूप से या मुख्य रूप से प्रयोग में आने वाले उपयुक्त पार्ट्स
308ख	84 या 85	विद्युत चालित पम्पों, जो कि मुख्य रूप से चल निकालने के लिए तैयार किए जाते हों जैसे कि सेंट्रीफ्युबल पम्प (हॉर्जिंटल या वर्टिकल), डीप ट्यूबवेल टर्बाइन पम्प्स, सबमर्सिबल पम्प, एक्सल फ्लो और मिक्स्ड फ्लो वर्टिकल पम्प में एक मात्र रूप से या मुख्य रूप से प्रयोग में आने वाले उपयुक्त पार्ट्स";

(xvi) क्रम सं. 369 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"369क	8483	प्लेन शाफ्ट बियरिंग";

(घ) अनुसूची IV – 14%

(i) क्रम संख्या 23 में, कॉलम (3) में शब्द "पैन्स या इसी प्रकार की वस्तुएं या पैकिंग्स" के स्थान पर शब्द और कोष्ठक, "पैन्स या इसी प्रकार की वस्तुएं या पैकिंग्स [पोस्टर कलर से भिन्न]" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ii) क्रम संख्या 34 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा।

(iii) क्रम संख्या 50 में कॉलम (3) में शब्द "वेस्ट एंड स्क्रैप समेत" के स्थान पर "वेस्ट एंड स्क्रैप को छोड़कर" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(iv) क्रम संख्या 70 में, कालम (3) के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"मार्बल या ग्रेनाइट की सभी वस्तुएं[मूर्तियों, प्रतिमाएं, पेडस्टल्स; उच्च या कम राहतें, पार, जानवरों के आकृति, कटोरे, फूलदान, कप, कैचौ बक्से, लेखन सेट, ऐशट्रे, पेपर वज़न, कृत्रिम फल और पत्ते आदि। पत्थर के अन्य सजावटी सामान" के अलावा]";

(v) क्रम संख्या 112 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित कर दिया जाएगा।

(vi) क्रम संख्या 135 में, कॉलम (3) में, "और प्लेन साफ्ट वियरिंग" शब्दों को निरसित किया जाएगा।

(ड.) अनुबंध में, (ख) के पश्चात निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा:-

" बशर्ते कि, यदि ब्राण्ड नेम पर कार्यवाही किए जाने के लिए दावा या प्रवर्तनीय अधिकार रखने वाला व्यक्ति और यूनिट कंटेनरों में ऐसे माल को पैक करने वाले दो अलग-अलग व्यक्ति है तो वह व्यक्ति जो कि ब्राण्ड नेम पर दावा कर सकता है या जिसका प्रवर्तनीय अधिकार है ऐसे माल की पैकिंग करने वाले व्यक्ति के क्षेत्राधिकार वाले राज्य कर आयुक्त के पास इस आशय का शपथ पत्र जमा करेगा की वह स्पष्टीकरण (ii)(क) में यथा परिभाषित ऐसे ब्राण्ड नेम पर अपने कार्यवाही योग्य दावे या प्रवर्तनीय अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग करता है; और उसने उस व्यक्ति [जो कि ऐसे यूनिट कंटेनरों में ऐसे ब्राण्ड नेम वाले माल की पैकिंग करता है] को इस बात के लिए प्राधिकृत करता है कि वह ऐसे यूनिट कंटेनरों पर अंग्रेजी और स्थानीय दोनों भाषाओं में तथा न मिटने वाली स्याही से यह मुद्रित कर सकेगा कि ऐसे ब्राण्ड नेम पर वह [जिसके पास ब्राण्ड नेम का अधिकार होगा] ऐसे ब्राण्ड नेम पर कार्यवाही योग्य दावे या प्रवर्तनीय अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर रहा है।"

2. यह अधिसूचना दिनांक 13 अक्टूबर, 2017 से प्रवृत्त समझी जाएगी।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the **Notification No. 980/2017/9(120)/ XXVII(8)/2017,** Dehradun, dated November 23, 2017 for general information:

NOTIFICATION

November 23, 2017

No. 980/2017/9(120)/XXVII(8)/2017--WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017), on the recommendations of the Council, the Governor is pleased to make the following amendments in the notification of the Government of Uttarakhand, Finance Section-8, No. 514/2017/9(120)/ XXVII(8)/2017 Dated 29 June, 2017, namely:-

In the said notification,-

(A) in Schedule I-2.5%,-

(i) in S.No. 29, for the entry in column (2), the entry, "0802, 0813", shall be substituted;

(ii) after S.No. 30 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

"30A	0804	Mangoes sliced, dried" ;

(iii) after S. No. 99 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

"99A	1905 or 2106	Khakhra, plain chapatti or roti" ;

(iv) after S.No. 101 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

"101A	2106 90	Namkeens, bhujia, mixture, chabena and similar edible preparations in ready for consumption form, other than those put up in unit container and,-
		(a) bearing a registered brand name; or
		(b) bearing a brand name on which an actionable claim or enforceable right in a court of law is available [other than those where any actionable claim or any enforceable right in

		respect of such brand name has been voluntarily foregone, subject to the conditions as specified in the ANNEXURE]" ;

(v) in S.No. 164, for the entry in column (3), the entry,

"(a) kerosene oil PDS,

(b) The following bunker fuels for use in ships or vessels, namely,

i. IFO 180 CST

ii. IFO 380 CST", shall be substituted;

(vi) after S.No. 181 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

"181A	30	Medicaments (including those used in Ayurvedic, Unani, Siddha, Homeopathic or Bio-chemic systems), manufactured exclusively in accordance with the formulae described in the authoritative books specified in the First Schedule to the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940) or Homeopathic Pharmacopoeia of India or the United States of America or the United Kingdom or the German Homeopathic Pharmacopoeia, as the case may be, and sold under the name as specified in such books or pharmacopoeia";

(vii) after S.No. 187 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

"187A	3915	Waste, parings or scrap, of plastics";

(viii) after S.No. 188 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

"188A	40040000	Waste, parings or scrap of rubber (other than hard rubber)";

(ix) after S.No. 191 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

"191A	4017	Waste or scrap of hard rubber";

(x) after S.No. 198A and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

"198 B	4707	Recovered waste or scrap of paper or paperboard";

(xi) S.No. 201A and entries relating thereto shall be omitted;

(xii) after S.No. 218 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

"218A	5605	Real zari thread (gold) and silver thread, combined with

	0010	textile thread";

(xiii) in S.No. 219, in column (2), for the figure, "5705", the figures "5702,5703, 5705", shall be substituted;

(xiv) after S.No. 228 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

"228A	7001	Cullet or other waste or scrap of glass";

(xv) after S.No. 234 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

"234A	84or 85	E-waste *Explanation:* For the purpose of this entry, e-waste means electrical and electronic equipment listed in Schedule Iof the E-Waste(Management) Rules, 2016, published in the Gazette of India vide G.S.R. 338 (E) dated the 23rd March, 2016, including the components, consumables, parts and spares which make these products operational";

(xvi) after S.No. 263 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:-

"264	Any chapter	Biomass briquettes" ;

(B) in Schedule II-6%,-

(i) **in S.No. 16, in column (3), for the words and brackets "Dates(soft or hard), figs, pineapples, avocados, guavas, mangoes and mangosteens, dried", the words and brackets, "Dates(soft or hard), figs, pineapples, avocados, guavas and mangosteens, dried", shall be substituted;**

(ii) in S.No. 17, in column (3), for the words figure and brackets, "dried fruits of Chapter 8[other than tamarind, dried]", the words, figure and brackets, "dried fruits of Chapter 8 [other than dried tamarind and dried chestnut (singhada) whether or not shelled or peeled]", shall be substituted;

(iii) in S.No. 46, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted namely: -

"Namkeens, bhujia, mixture, chabena and similar edible preparations in ready for consumption form [other than roasted gram], put up in unit container and,-

(a) bearing a registered brand name; or

(b) bearing a brand name on which an actionable claim or enforceable right in a court of law is available [other than those where any actionable claim or any enforceable

right in respect of such brand name has been voluntarily foregone, subject to the conditions as specified in the ANNEXURE]";

(iv) S.No. 111 and the entries relating thereto, shall be omitted;

(v) after S.No. 132 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely: -

"132A	5401	Sewing thread of manmade filaments, whether or not put up for retail sale
132B	5402, 5403, 5404,5405,5406	Synthetic or artificial filament yarns
132C	5508	Sewing thread of manmade staple fibres
132D	5509, 5510, 5511	Yarn of manmade staple fibres";

(vi) in S.No. 137, in the entry in column (3), the words and figures "such as Real zari thread (gold) and silver thread, combined with textile thread)," shall be omitted;

(C) in Schedule III-9%,-

(i) in S.No. 16, in column (3), for the words "other than pizza bread", the words, "other than pizza bread, khakhra, plain chapatti or roti", shall be substituted;

(ii) in S.No. 23, in column (3), for the words "preparations in ready for consumption form", the words, "preparations in ready for consumption form, khakhra", shall be substituted;

(iii) after S.No. 54 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:-

"54A	3213	Poster colour" ;

(iv) in S.No. 63, for the entry in column (3), the entry, "Modelling pastes, including those put up for children's amusement; Preparations known as "dental wax" or as "dental impression compounds", put up in sets, in packings for retail sale or in plates, horseshoe shapes, sticks or similar forms; other preparations for use in dentistry, with a basis of plaster (of calcined gypsum or calcium sulphate)", shall be substituted;

(v) S.No. 102 and the entries relating thereto, shall be omitted;

(vi) in S.No. 114, in column (3), for the words and brackets "Waste, parings and scrap of rubber (other than hard rubber) and powders and granules obtained therefrom", the words and brackets "powders and granules obtained from waste, parings and scrap of rubber (other than hard rubber)" shall be substituted;

(vii) S.No. 158 and entries related thereto shall be omitted;

(viii) in S.No. 159,for the entry in column (3), the entry "All goods other than synthetic filament yarns", shall be substituted;

(ix) in S.No. 160, for the entry in column (3), the entry "All goods other than artificial filament yarns", shall be substituted;

(x) S.No. 164 and entries related thereto shall be omitted;

(xi) S. No. 165 and entries related thereto shall be omitted;

(xii) after S.No. 177 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

"177A	6802	All goods other than:- (i) all goods of marble and granite; (ii) Statues, statuettes, pedestals; high or low reliefs, crosses, figures of animals, bowls, vases, cups, cachou boxes, writing sets, ashtrays, paper weights, artificial fruit and foliage, etc.; other ornamentai goods essentially of stone" ;

(xiii) in S.No. 188, and entries relating thereto, shall be omitted;

(xiv) after S.No. 303 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

"303A	8305	Fittings for loose-leaf binders or files, letter clips, letter corners, paper clips, indexing tags and similar office articles, of base metal; staples in strips (for example, for offices, upholstery, packaging), of base metal" ;

(xv) after S.No. 308 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely: -

"308A	84	Parts suitable for use solely or principally with fixed Speed Diesel Engines of power not exceeding 15HP
308B	84 or 85	Parts suitable for use solely or principally with power driven pumps primarily designed for handling water, namely, centrifugal pumps(horizontal and vertical), deep tube-well turbine pumps, submersible pumps, axial flow and mixed flow vertical pumps";

(xvi) after S.No. 369 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

"369A	8483	Plain shaft bearings" ;

(D) in Schedule-IV-14%, -

(i) in S.No. 23, in column (3), for the words, "pans or in similar forms or packings", the words and brackets, "pans or in similar forms or packings [other than poster colour]", shall be substituted;

(ii) S.No. 34 and entries related thereto shall be omitted;

(iii) in S.No. 50, in column (3), for the words "including waste and scrap", the words, "other than waste and scrap", shall be substituted;

(iv) in S.No. 70, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted namely: -
"All goods of marble or granite [other than Statues, statuettes, pedestals; high or low reliefs, crosses, figures of animals, bowls, vases, cups, cachou boxes, writing sets, ashtrays, paper weights, artificial fruit and foliage, etc.; other ornamental goods essentially of stone]";
(v) S.No. 112 and the entries relating thereto, shall be omitted;
(vi) in S.No. 135, in column (3), the words, "and plain shaft bearings", shall be omitted;

(E) in ANNEXURE, after point (b), the following proviso shall be inserted
"Provided that, if the person having an actionable claim or enforceable right on a brand name and the person undertaking packing of such goods in unit containers are two different persons, then the person having an actionable claim or enforceable right on a brand name shall file an affidavit to that effect with the **jurisdictional Commissioner of State tax** of the person undertaking packing of such goods that he is voluntarily foregoing his actionable claim or enforceable right on such brand name as defined in Explanation (ii)(a); and he has authorised the person [undertaking packing of such goods in unit containers bearing said brand name] to print on such unit containers in indelible ink, both in English and the local language, that in respect of such brand name he [the person owning the brand name] is voluntarily foregoing the actionable claim or enforceable right voluntarily on such brand name."

2. This notification shall deemed to come into force from 13th day of October, 2017.

अधिसूचना

23 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 981/2017/9(120)/XXVII(8)/2017–चूँकि, राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 11 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशो के आधार पर, उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग-8 की अधिसूचना सं. 518/2017 /9(120)/XXVII(8)/2017 दिनांक 29 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात् –

1. उक्त अधिसूचना में,

(क) सारणी में,

(i) क्रम संख्या 122 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"122-क	4907	इक्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स"

(ii) क्रम संख्या 149 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"150	-	केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय निकाय, जैसी भी स्थिति हो, से अनुदान के रूप में प्राप्त प्रतिफल के एवज में, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय निकाय या ऐसे किसी व्यक्ति, जिसे केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय निकाय द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो, को किसी सरकारी निकाय द्वारा की जाने वाली वस्तुओं की आपूर्ति।"

(ख) स्पष्टीकरण में, खंड (पांच) के बाद निम्नलिखित खंड अंतस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(छः) वाक्य "सरकारी निकाय" से अभिप्राय किसी ऐसे प्राधिकरण या बोर्ड या अन्य किसी निकाय जिसमें सोसायटी, ट्रस्ट, निगम भी आते हैं, जोकि;

(क) संसद या राज्य विधान मंडल के किसी अधिनियम;

(ख) किसी सरकार द्वारा किया गया;

और जिसमें साम्या या नियंत्रण के माध्यम से 90 प्रतिशत या इससे अधिक की भागीदारी हो और जिसका काम केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण के द्वारा सौंपे गए कार्यों को पूरा करना है।"

(ग) अनुबंध I में, (ख) के पश्चात निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा:-

" बशर्ते कि, यदि ब्राण्ड नेम पर कार्यवाही किए जाने के लिए दावा या प्रवर्तनीय अधिकार रखने वाला व्यक्ति और यूनिट कंटेनरों में ऐसे माल को पैक करने वाले दो अलग-अलग व्यक्ति है तो वह व्यक्ति जो कि ब्राण्ड नेम पर दावा कर सकता है या जिसका प्रवर्तनीय अधिकार है ऐसे माल की पैकिंग करने वाले व्यक्ति के क्षेत्राधिकार वाले राज्य कर आयुक्त के पास इस आशय का शपथ पत्र जमा करेगा की वह स्पष्टीकरण (ii)(क) में यथा परिभाषित ऐसे ब्राण्ड नेम पर अपने कार्यवाही योग्य दावे या प्रवर्तनीय अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग करता है; और उसने उस व्यक्ति [जो कि ऐसे यूनिट कंटेनरों में ऐसे ब्राण्ड नेम वाले माल की पैकिंग करता है] को इस बात के लिए प्राधिकृत करता है कि वह ऐसे यूनिट कंटेनरों पर अंग्रेजी और स्थानीय दोनों भाषाओं में तथा न मिटने वाली स्याही से यह मुद्रित कर सकेगा कि ऐसे ब्राण्ड नेम पर वह [जिसके पास ब्राण्ड नेम का अधिकार होगा] ऐसे ब्राण्ड नेम पर कार्यवाही योग्य दावे या प्रवर्तनीय अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर रहा है। "

2. यह अधिसूचना दिनांक 13 अक्टूबर, 2017 से प्रवृत्त समझी जाएगी ।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the **Notification No. 981/2017/9(120)/XXVII(8)/2017, Dehradun, dated November 23, 2017** for general information:

NOTIFICATION

November 23, 2017

No. 981/2017/9(120)/XXVII(8)/2017--WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017), on the recommendations of the Council, the Governor is pleased to allow to make the following amendments in the notification of the Government of Uttarakhand, Finance Section-8, No. 518/2017/9(120)/ XXVII(8)/2017 Dated 29 June, 2017, namely:-

1. In the said notification,-

(A) in the Schedule,-

(i) after S. No. 122 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

"122A	4907	Duty Credit Scrips";

(ii) after S. No. 149 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

"150	-	Supply of goods by a Government entity to Central Government, State Government, Union territory, local authority or any person specified by Central Government, State Government, Union territory or local authority, against consideration received from Central Government, State Government, Union territory or local authority in the form of grants";

(B) in the *Explanation*, after clause (v), the following clause shall be inserted, namely:-

"(vi) The phrase "Government Entity" shall mean an authority or a board or any other body including a society, trust, corporation, which is:

(a) set up by an Act of Parliament or State Legislature; or

(b) established by any Government,

with 90 percent or more participation by way of equity or control, to carry out a function entrusted by the Central Government, State government, Union territory or a local authority.".

(C) in ANNEXURE I, after point (b), the following proviso shall be inserted

"Provided that, if the person having an actionable claim or enforceable right on a brand name and the person undertaking packing of such goods in unit containers are two different persons, then the person having an actionable claim or enforceable right on a brand name shall file an affidavit to that effect with the jurisdictional Commissioner of State tax of the person undertaking packing of such goods that he is voluntarily foregoing his actionable claim or enforceable right on such brand name as defined in Explanation (ii)(a); and he has authorised the person [undertaking packing of such goods in unit containers bearing said brand name] to print on such unit containers in indelible ink, both in English and the local language, that in respect of such brand name he [the person owning the brand name] is voluntarily foregoing the actionable claim or enforceable right voluntarily on such brand name."

2. This notification shall deemed to come into force from 13th day of October, 2017.

अधिसूचना

23 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 982/2017/9(120)/XXVII(8)/2017–चूँकि, राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 9 की उपधारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, उत्तराखण्ड शासन, वित अनुभाग-8 की अधिसूचना सं. 515/2017/9(120)/ XXVII(8)/2017 दिनांक 29 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात्:-

1. उक्त अधिसूचना में, -

(i) क्रम संख्या 5 के बाद और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

सारणी

क्रम सं0	टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष या अध्याय	माल की पूर्ति का विवरण	माल का पूर्तिकार	पूर्ति का प्राप्तिकर्ता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"6	कोई अध्याय	इस्तेमाल किए गए वाहन, जब्त की गई वस्तु, पुरानी और प्रयुक्त माल, अपशिष्ट और स्क्रैप	केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण	कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति"

2. यह अधिसूचना दिनांक 13 अक्टूबर, 2017 से प्रवृत्त समझी जाएगी ।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the **Notification No. 982/2017/9(120)/ XXVII(8)/2017,** Dehradun, dated November 23, 2017 for general information:

NOTIFICATION

November 23, 2017

No. 982/2017/9(120)/XXVII(8)/2017--WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017), on the recommendations of the Council, the Governor is pleased to allow to make the following amendment in the notification of the Government of Uttarakhand, Finance Section-8, No. 515/2017/9(120)/ XXVII(8)/2017 Dated 29 June, 2017, namely:-

1. In the said notification,-

(i) after S.No. 5 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

TABLE

Sl. No.	Tariff item, sub-heading, heading or Chapter	Description of Supply of Goods	Supplier of goods	Recipient of supply
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.	Any Chapter	Used vehicles, seized and confiscated goods, old and used goods, waste and scrap	Central Government, State Government, Union territory or a local authority	Any registered person

2. This notification shall deemed to come into force from 13th day of October, 2017.

अधिसूचना

23 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 983/2017/9(120)/XXVII(8)/2017–चूँकि, राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 10 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग-8 की अधिसूचना सं. 513/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 दिनांक 29 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करने की सदर्भ स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात्:-

1. उक्त अधिसूचना में, -

शब्द "पचहत्तर लाख रूपये" के स्थान पर "एक करोड़ रूपये" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

2. यह अधिसूचना दिनांक 13 अक्टूबर, 2017 से प्रवृत्त समझी जाएगी।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the **Notification No. 983/2017/9(120)/ XXVII(8)/2017,** Dehradun, dated November 23, 2017 for general information:

NOTIFICATION

November 23, 2017

No. 983/2017/9(120)/XXVII(8)/2017--WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 10 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017), on the recommendations of the Council, the Governor is pleased to allow to make the following amendments in the notification of the Government of Uttarakhand, Finance Section- 8, No. 513/2017/9(120)/ XXVII(8)/2017 Dated 29 June, 2017, namely:-

1. In the said notification,-

for the words "seventy-five lakh rupees", the words, "one crore rupees" shall be substituted;

2. This notification shall deemed to come into force from 13th day of October, 2017.

अधिसूचना

23 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 984/2017/9(120)/XXVII(8)/2017—चूँकि, राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, उन वस्तुओं की अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर, जिनका विवरण नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में दिया गया है, जो उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के उपशीर्ष के तत्संबंधी प्रविष्टि के टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष या अध्याय, जैसी भी स्थिति हो, में निर्दिष्ट के अनुसार स्तंभ (2) में संबंधित प्रविष्टि, नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (4) में राज्य कर की दर तथा स्तंभ (5) में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन हों, को अधिसूचित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, यथा:-

तालिका

क्रम सं0	अध्याय, शीर्ष, उपशीर्ष, या टैरिफ मद	माल का विवरण	दर	शर्त सं0
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	87	मोटर व्हीकल	अधिसूचना सं0 514/2017/9(120)/XXVII(8) /2017 दिनांक 29 जून, 2017 के अंतर्गत, ऐसे माल पर लागू राज्य कर की दर का 65%	1
2	87	मोटर व्हीकल	अधिसूचना सं0 514/2017/9(120)/XXVII(8) /2017 दिनांक 29 जून, 2017 के अंतर्गत, ऐसे माल पर लागू राज्य कर की दर का 65%	2

2. बशर्ते कि इस अधिसूचना में निहित कोई भी बात 01 जुलाई 2020 को या उसके बाद लागू नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण- इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए,

(1) इस अधिसूचना में उल्लिखित , "टैरिफ मद", "उपशीर्ष", "शीर्ष" और "अध्याय" से अभिप्राय सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्रमशः टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष, अध्याय से है ।

(2) उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की प्रथम अनुसूची की व्याख्या से संबंधित नियम, जिसमें इस प्रथम अनुसूची के खंड और अध्याय नोटस और सामान्य स्पष्टीकरण और टिप्पणियां भी शामिल है, इस अधिसूचना की व्याख्या के लिए भी लागू होंगे ।

अनुबंध

शर्त सं0	शर्त
1	मोटर वाहन को पट्टाकर्ता ने 01 जुलाई, 2017 से पहले खरीदा हो और उसे 01 जुलाई, 2017 के पहले पट्टे पर दिया हो ।
2	i. मोटर वाहन का आपूर्तिकर्ता एक पंजीकृत व्यक्ति हो ।
	ii. ऐसा आपूर्तिकर्ता जिसने मोटर वाहन को 01 जुलाई, 2017 से पहले खरीदा हो और उसने उस पर भुगतान किये गए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर या अन्य कोई कर का इनपुट टैक्स क्रेडिट न लिया हो ।

3. यह अधिसूचना दिनांक 13 अक्टूबर 2017 से प्रवृत्त समझी जाएगी ।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the **Notification No. 984/2017/9(120)/XXVII(8)/2017,** Dehradun, dated November 23, 2017 for general information:

NOTIFICATION

November 23, 2017

No. 984/2017/9(120)/XXVII(8)/2017--WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017), on the recommendations of the Council, the Governor is pleased to allow to notify the State tax on intra-State supplies of goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under the tariff item, sub-heading, heading or Chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), as the case may be, as specified in the corresponding entry in column (2), of the Table below, at the rate specified in corresponding entry in column (4) and subject to relevant conditions annexed to this notification, if any, specified in the corresponding entry in column (5) of the Table aforesaid:

TABLE

Sl. No.	Chapter, Heading, Sub-heading or Tariff item	Description of Goods	Rate	Condition No.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	87	Motor Vehicles	65% of State tax applicable otherwise on such goods under Notification No. 514/2017/ 9(120)/ XXVII(8)/2017 Dated 29 June, 2017	1
2.	87	Motor Vehicles	65% of State tax applicable otherwise on such goods under Notification No. 514/2017/9(120)/ XXVII(8)/2017 Dated 29 June, 2017	2

2. Provided that nothing contained in this notification shall apply on or after 1st July, 2020.

Explanation –For the purposes of this notification, -

(i) "Tariff item", "sub-heading" "heading" and "Chapter" shall mean respectively a tariff item, heading, sub-heading and Chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975).

(ii) The rules for the interpretation of the First Schedule to the said Customs Tariff Act, 1975, including the Seetion and Chapter Notes and the General Explanatory Notes of the First Schedule shall, so far as may be, apply to the interpretation of this notification.

ANNEXURE

Condition No.	Condition
1.	The Motor Vehicles was purchased by the lesser prior to 1st July, 2017 and supplied on lease before 1st July, 2017
2.	i. The supplier of Motor Vehicle is a registered person. ii. Such supplier had purchased the Motor Vehicle prior to 1st July, 2017 and has not availed input tax credit of central excise duty, Value Added Tax or any other taxes paid on such vehicles

3. This notification shall deemed to come into force from 13th day of October, 2017.

अधिसूचना

23 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 985/2017/9(120)/XXVII(8)/2017–चूँकि, राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 9 की उपधारा (1), धारा 11 की उपधारा (1), धारा 15 की उपधारा (5) और धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिश पर, उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग-8 की अधिसूचना संख्या 525/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 दिनांक 29 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात्-

1. उक्त अधिसूचना में,

(i) तालिका में,

(क) क्रम संख्या 3 के समक्ष,-

(1) स्तम्भ (iii) में, कोष्ठक (2) में, "सरकार, स्थानीय निकाय अथवा किसी सरकारी प्राधिकरण" शब्दों के स्थान पर "केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण, सरकारी प्राधिकरण अथवा सरकारी निकाय" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) मद (vi) में, कॉलम (3) में "स्थानीय निकाय अथवा एक सरकारी प्राधिकरण" शब्दों के स्थान पर "किसी स्थानीय प्राधिकरण, किसी सरकारी प्राधिकरण अथवा किसी सरकारी निकाय" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ग) मद (iii) और (vi) में, कॉलम (5) में, मौजूदा प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात:- "बशर्ते कि जहां सेवाओं की किसी सरकारी निकाय में आपूर्ति की जाती है, उन्हें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण, जैसा भी मामला हो, द्वारा इसे सौंपे गए कार्यों के संबंध में सरकारी निकाय द्वारा खरीदा जाना चाहिए था";

(घ) मद (vii) के लिए कॉलम (3), (4) और (5) और इससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

(3)	(4)	(5)
"(vii) उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 2 के खण्ड (119) में परिभाषित कार्य संविदा की समग्र आपूर्ति केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण, एक सरकारी प्राधिकरण या किसी सरकारी इकाई को प्रदान की गई है, जिसमें मुख्य रूप से धरती कार्य (जो कि कार्य संविदा के मूल्य का 75% से अधिक गठन का होता है) शामिल है।	2.5	बशर्ते कि जहां किसी सरकारी इकाई को सेवाएं दी जाती हैं, उन्हें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण, जैसा कि मामला हो, द्वारा सौंपे गए कार्यों के संबंध में सरकारी इकाई द्वारा प्राप्ति की जानी चाहिए ।
(viii) परिभाषित बेस लाइन के किसी निकटस्थ बिंदु से 12 समुद्री मील से दूर के क्षेत्र में तेल और गैस अन्वेषण और उत्पादन (ई एंड पी) से संबंधित अपतटीय काम संविदा के संबंध में उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 2 के खण्ड (119) में और संबद्ध सेवाओं में परिभाषित कार्यसंविदा की समग्र आपूर्ति।	6	
(ix) उपरोक्त (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii) और (viii) के अलावा अन्य निर्माण सेवाएं ।	9	-";

(ख) क्रम संख्या 8 के समक्ष, मद (ii) के लिए कॉलम (5) में "या" शब्द के लिए " और होगा। शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ग) क्रम संख्या 8 के समक्ष, मद (vi) के लिए कॉलम (3) में और कॉलम (3), (4) और (5) में इनसे संबंधित प्रविष्टियों हेतु निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

(3)	(4)	(5)
"(vi) यात्री को ले जाने के लिए डिज़ाइन किए गए किसी भी मोटर वाहन द्वारा यात्रियों का परिवहन जहां ईंधन की लागत को सेवा प्राप्तकर्ता से लिया जाता है।	2.5	बशर्ते कि व्यवसाय (अर्थात् किसी मोटर वाहन में यात्रियों को ले जाने या किसी मोटर वाहन को किराए पर दिए जाने के लिए किसी अन्य सेवा प्रदाता से प्राप्त सेवा) की सामान लीक में इनपुट सेवा के इनपुट टैक्स क्रेडिट के अलावा, सेवा की आपूर्ति में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया गया है । [कृपया स्पष्टीकरण सं0 (iv) देखें]
		या
	6	-";

(घ) क्रम संख्या 9 के समक्ष, कॉलम (3) में मद (v) और कॉलम (3), (4) और (5) में इससे संबंधित प्रविष्टियों हेतु निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

(3)	(4)	(5)
"(v) पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस का परिवहन	2.5	बशर्ते कि सेवा की आपूर्ति में प्रयोग की गई वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए गए इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं लिया गया है [कृपया स्पष्टीकरण सं0. (iv) देखें]
	या	
	6	-
(vi)उपरोक्त (i), (ii), (iii), (iv) और (v) के अलावा माल परिवहन सेवाएं	9	-";

(ङ) क्रम संख्या 10 के समक्ष, कॉलम (3) में मद (i) और कॉलम (3), (4) और (5) में इससे संबंधित प्रविष्टियों हेतु निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

(3)	(4)	(5)
"(i) यात्रियों को ले जाने के लिए डिजाइन किए गए किसी भी मोटर वाहन को किराए पर लेना जहां ईंधन की कीमत सेवा प्राप्तकर्ता से लिए जाने हेतु विचारण में शामिल किया गया है।	2.5	बशर्ते कि सेवा की आपूर्ति में प्रयोग किए गए माल और सेवाओं पर लगाए गए इनपुट टैक्स का क्रेडिट, व्यापार की समान राह में इनपुट सेवा के इनपुट टैक्स क्रेडिट के अतिरिक्त (अर्थात् किसी मोटर वाहन में यात्रियों को ले जाने या किसी मोटर वाहन को किराए पर दिए जाने के लिए किसी अन्य सेवा प्रदाता से प्राप्त सेवा) नहीं लिया गया है। [कृपया स्पष्टीकरण सं0. (iv) देखें]
	या	
	6	-";

(च) क्रम संख्या 15 के समक्ष, कॉलम (3) में मद (iii) और कॉलम (3), (4) और (5) में इससे संबंधित प्रविष्टियों हेतु निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

(3)	(4)	(5)
"(iii) 01 जुलाई 2017 से पहले खरीदे और पट्टे पर दिए गए वाहनो की पट्टेदारी;	माल में अधिकार (टाइटल) के हस्तांतरण से जुड़ी ऐसे माल की आपूर्ति पर लागू राज्य कर की दर का 65 प्रतिशत । नोट:- इस प्रविष्टि में निहित कुछ भी 01 जुलाई, 2020 या उसके बाद लागू नहीं होगा।	
(iv) उपरोक्त (i), (ii) और (iii) के अलावा वित्तीय और संबंधित सेवाएं	9	

(छ) क्रम संख्या 17 के समक्ष, कॉलम (3) में मद (vi) और कॉलम (3), (4) और (5) में इससे संबंधित प्रविष्टियों हेतु निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

(3)	(4)	(5)
"(vi) 01 जुलाई 2017 से पहले खरीदे और पट्टे पर दिए गए वाहनों की पट्टेदारी;	माल में अधिकार (टाइटल) के हस्तांतरण से जुड़े ऐसे माल की आपूर्ति पर लागू राज्य कर की दर का 65 प्रतिशत । नोट:- इस प्रविष्टि में निहित कुछ भी 01 जुलाई, 2020 या उसके बाद लागू नहीं होगा।	
(vii) उपरोक्त (i), (ii), (iii), (iv), (v) और (vi) के अतिरिक्त, ऑपरेटर के साथ या उसके बिना पट्टे पर या किराये की सेवाएं,	माल में अधिकार (टाइटल) के स्थानान्तरण से जुड़े जैसे माल की आपूर्ति पर लागू होने वाले राज्य कर की समान दर	-";

(ज) क्रम संख्या 26 के समक्ष, कॉलम (3) में, -

(i) मद (i) में, उप-मद (ग) हेतु, निम्नलिखित उप-मद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(ग) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में अध्याय 71 के तहत आने वाले सभी उत्पाद;";

(ii) मद (i) में, उप-मद (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-मद को समाविष्ट किया जाएगा:-"(घक) अध्याय 48 या 49 के तहत आने वाले सभी सामानों की छपाई, जिस पर 2.5 प्रतिशत या शून्य की दर से राज्य कर लगता है;";

(iii) मद (i) में, उप-मद (ड.) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-मदों को समाविष्ट किया जाएगा, अर्थात्: -

"(च) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में अध्याय 1 से 22 के तहत आने वाले सभी खाद्य और खाद्य उत्पाद;

(छ) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में अध्याय 23 के तहत आने वाले उत्पाद, सिवाए उक्त अध्याय की टैरिफ मद 23091000 के तहत आने वाली खुदरा बिक्री हेतु रखे जाने वाला कुत्ते और बिल्ली का भोजन;

(ज) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में टैरिफ मद 69010010 के तहत आने वाली मिट्टी ईंटों का निर्माण;";

(iv) कॉलम (3) में मद (i) के पश्चात् और कॉलम (3), (4) और (5) में इससे संबंधित प्रविष्टियों हेतु निम्नलिखित को समाविष्ट किया जाएगा, अर्थात्: -

(3)	(4)	(5)
"(क) निम्नलिखित के संबंध में जॉब वर्क के माध्यम से सेवाएं-		
(क) छाते का निर्माण;	6	-";
(ख) अध्याय 48 या 49 के अंतर्गत आने वाले सभी माल का मुद्रण, जिस पर 6 प्रतिशत की दर से राज्य कर लगता है ।		

(v) मद (ii) में उप-मद (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-मद को समाविष्ट किया जाएगा, अर्थात्: -

"(ग) अध्याय 48 या 49 के अंतर्गत आने वाले सभी माल का मुद्रण, जिस पर 2.5 या शून्य प्रतिशत की दर से राज्य कर लगता है।";

(vi) कॉलम (3) में मद (ii) के पश्चात् और कॉलम (3), (4) और (5) में इससे संबंधित प्रविष्टियों हेतु निम्नलिखित को समाविष्ट किया जाएगा, अर्थात्: -

(3)	(4)	(5)
"(iiक) अध्याय 48 या 49 के अंतर्गत आने वाले सभी माल का मुद्रण, जिस पर 6 प्रतिशत की दर से राज्य कर लगता है, के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित वस्तुओं पर किसी भी संव्यवहार या प्रक्रिया के माध्यम से सेवाएं।	6	-";

(vii) मद (iii) में, कोष्ठकों आंकड़ो और शब्दों "और (ii)" के लिए कोष्ठक, आंकड़े और शब्द ", (iक), (ii) और (iiक)" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ग) क्रम संख्या 27 के समक्ष, कॉलम (3) में मद (i) और कॉलम (3), (4) और (5) में इससे संबंधित प्रविष्टियों हेतु निम्नलिखित को समाविष्ट किया जाएगा, अर्थात् –

(3)	(4)	(5)
(i) अध्याय 48 या 49 के तहत आने वाले सभी सामानों के मुद्रण के माध्यम से सेवाएं [समाचार पत्रों, किताबें (ब्रेल पुस्तकें सहित), पत्रिकाओं (जर्नल्स) और पत्रिकाओं (पीरियोडिकल्स) सहित], जिन पर 6 प्रतिशत या 2.5 प्रतिशत या शून्य की दर से राज्य कर लगता है, जहां केवल प्रकाशक द्वारा सामग्री की आपूर्ति की जाती है और मुद्रण हेतु प्रयोग किए गए कागज सहित भौतिक इनपुट प्रिंटर से संबंधित हैं।	6	-";

(घ) पैराग्राफ 2 में, "मद (i) में" शब्दों और अंकों हेतु, "मद (i) पर, मद (iv) [उप-मद (ख), उप-मद (ग), उप-मद (घ)], मद (v) [उप-मद (ख), उप-मद (ग), उप-मद (घ))], मद (vi) [उप-मद (ग)]" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ङ) पैराग्राफ 4 में, खण्ड (v) के पश्चात, निम्नलिखित खण्डों को अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(vi) "सरकारी प्राधिकरण" से अभिप्राय किसी ऐसे प्राधिकरण या बोर्ड या अन्य किसी निकाय से है जिसका गठन,-

(i) संसद या राज्य विधान मण्डल के किसी अधिनियम; या

(ii) किसी सरकार द्वारा,

किया गया हो और जिसमें साम्या या नियंत्रण के माध्यम से 90% या इससे अधिक की भागीदारी हो, और जिसका काम संविधान के अनुच्छेद 243 ब के अंतर्गत नगर निगम को या संविधान के अनुच्छेद 243 छ के अंतर्गत किसी पंचायत को सौंपे गए कार्यों को निष्पादित करना है ।

(vii) "सरकारी निकाय" से अभिप्राय किसी ऐसे प्राधिकरण या बोर्ड या अन्य किसी निकाय (जिसमें सोसाइटी, ट्रस्ट, निगम भी आते हैं) से है जिसका गठन,-

(i) संसद या राज्य विधान मण्डल के किसी अधिनियम; या

(ii) किसी सरकार द्वारा,

किया गया हो और जिसमें साम्या या नियंत्रण के माध्यम से 90% या इससे अधिक की भागीदारी हो, और जिसका काम केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण के द्वारा सौंपे गए कार्यों को निष्पादित करना है।"

2. यह अधिसूचना दिनांक 13 अक्टूबर 2017 से प्रभावी समझी जायेगी।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the **Notification No. 985/2017/9(120)/ XXVII(8)/2017,** Dehradun, dated November 23, 2017 for general information:

NOTIFICATION

November 23, 2017

No. 985/2017/9(120)/XXVII(8)/2017--WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15 and sub-section (1) of section 16 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017), on the recommendations of the Council, the Governor is pleased to allow to make the following amendments in the notification of the Government of Uttarakhand, Finance Section–8, No. 525/2017/9(120)/ XXVII(8)/2017 Dated 29 June, 2017, namely:-

1. In the said notification,

(i) in the Table, -

(a) against serial number 3, -

A. in item (iii), in column (3), for the words "Government, a local authority or a Governmental authority", the words "Central Government, State Government, Union territory, a local authority, a Governmental Authority or a Government Entity" shall be substituted;

B. in item (vi), in column (3), for the words "a local authority or a Governmental authority" the words "a local authority, a Governmental Authority or a Government Entity" shall be substituted;

C. in items (iii) and (vi), in column (5), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely: -

"Provided that where the services are supplied to a Government Entity, they should have been procured by the said entity in relation to a work entrusted to it by the Central Government, State Government, Union territory or local authority, as the case may be";

D. for item (vii), in columns (3), (4) and (5) and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

(3)	(4)	(5)
(vii) Composite supply of works contract as defined in clause (119) of section 2 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017, involving predominantly earth work (that is, constituting more than 75 percent of the value of the works contract) provided to the Central Government, State Government, Union territory, local authority, a Governmental Authority or a Government Entity.	2.5	Provided that where the services are supplied to a Government Entity, they should have been procured by the said entity in relation to a work entrusted to it by the Central Government, State Government, Union territory or local authority, as the case may be
(viii) Composite supply of works contract as defined in clause (119) of section 2 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 and associated services, in respect of offshore works contract relating to oil and gas exploration and production (E&P) in the offshore area beyond 12 nautical miles from the nearest point of the appropriate base line.	6	-
(ix) Construction services other than (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii)and (viii) above.	9	-";

(b) against serial number 8, for item (ii), in column (5), for the word "or" the word "and" shall be substituted.

(c) against serial number 8, for item (vi), in columns (3), (4) and (5) and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

(3)	(4)	(5)
"(vi) Transport of passengers by any motor vehicle designed to carry passengers where the cost of fuel is included in the consideration charged from the service recipient.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service, other than the input tax credit of input service in the same line of business (i.e. service procured from another service provider of transporting passengers in a motor vehicle or renting of a motor vehicle), has not been taken. [Please refer to *Explanation* no. (iv)]
		or
	6	-";

(d) against serial number 9, for item (v), in columns (3), (4) and (5)and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:

(3)	(4)	(5)
"(v) Transportation of natural gas through pipeline	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken [Please refer to *Explanation* no. (iv)]
	or	
	6	-
(vi) Goods transport serviees other than (i), (ii), (iii), (iv) and (v) above	9	-";

(e) against serial number 10, for item (i), in columns (3), (4) and (5) and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

(3)	(4)	(5)
"(i) Renting of any motor vehicle designed to carry passengers where the cost of fuel is included in the consideration charged from the service recipient.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and serviees used in supplying the service, other than the input tax credit of input serviee in the same line of business (i.e. serviee procured from another service provider of transporting passengers in a motor vehiele or renting of a motor vehicle) has not been taken. [Please refer to *Explanation* no. (iv)]
	Or	
	6	-";

(f) against serial number 15, for item (iii), in columns (3), (4) and (5) and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

(3)	(4)	(5)
"(iii) Leasing of motor vehieles purchased and leased prior to 1st July 2017;	65 pereent of the rate of State tax as applicable on supply of like goods involving transfer of title in goods. Note:- Nothing contained in this entry shall apply on or after 1st July, 2020.	-
(iv) Financial and related services other than (i), (ii) and (iii) above.	9	-";

(g) against serial number 17, for item (vi) in column (3) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely: -

(3)	(4)	(5)
"(vi) Leasing of motor vehicles purchased and leased prior to 1st July 2017.	65 percent of the rate of State tax as applicable on supply of like goods involving transfer of title in goods	-

(3)	(4)	(5)
	Note:- Nothing contained in this entry shall apply on or after 1st July, 2020.	
(vii) Leasing or rental services, with or without operator, other than (i), (ii), (iii), (iv), (v) and (vi) above.	Same rate of State tax as applicable on supply of like goods involving transfer of title in goods	";"

(h) against serial number 26, in column (3), -

(i) in item (i), for sub-item (c), the following sub-item shall be substituted, namely: -
"(c) all products falling under Chapter 71 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51of 1975);";

(ii) in item (i),after sub-item (d), the following sub-item shall be inserted, namely: -
"(da) printing of all goods falling under Chapter 48 or 49, which attract SGST @ 2.5 percent or Nil;"

(iii) in item (i), after sub-item (e), the following sub-items shall be inserted, namely: -

"(f) all food and food products falling under Chapters 1 to 22 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51of 1975);

(g) all products falling under Chapter 23 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51of 1975), except dog and cat food put up for retail sale falling under tariff item 23091000 of the said Chapter;

(h) manufacture of clay bricks falling under tariff item 69010010 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51of 1975);";

(iv) after item (i), in columns (3), (4) and (5)and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely: -

(3)	(4)	(5)
"(ia) Services by way of job work in relation to- (a) manufacture of umbrella; (b) printing of all goods falling under Chapter 48 or 49, which attract SGST @ 6 percent	6	";

(v) in item (ii), after sub-item (b), the following sub-item shall be inserted, namely: -
"(c) printing of all goods falling under Chapter 48 or 49, which attract SGST @ 2.5 percent or Nil;";

(vi) after item (ii), in columns (3), (4) and (5)in column (3) and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely: -

(3)	(4)	(5)
"(iia) Services by way of any treatment or process on goods belonging to another person, in relation to printing of all goods falling under Chapter 48 or 49, which attract SGST @ 6 percent	6	-";

(vii) in item (iii), for the word, brackets and figures "and (ii)" the figures, brackets, letters and word ", (ia), (ii) and (iia)" shall be substituted;

(*i*) against serial number 27, for item (i), in columns (3), (4) and (5) and the entries relating thereto in, the following shall be substituted, namely: -

(3)	(4)	(5)
(i) Services by way of printing of all goods falling under Chapter 48 or 49 [including newspapers, books (including Braille books), journals and periodicals], which attract SGST @ 6 percent or 2.5 percent or Nil, where only content is supplied by the publisher and the physical inputs including paper used for printing belong to the printer.	6	-";

(*ii*) in paragraph 2, for the words, brackets and figures "at item (i)", the words, brackets, figures and letters, "at item (i), item (iv) [sub-item (b), sub-item (c) and sub-item (d)], item (v) [sub-item (b), sub-item (c) and sub-item (d)], item (vi) [sub-item (c)]" shall be substituted;

(*iii*) in paragraph 4, after clause (v), the following clause shall be inserted, namely: -

"(vi) "Governmental Authority" means an authority or a board or any other body, -

(i) set up by an Act of Parliament or a State Legislature; or

(ii) established by any Government,

with 90 percent or more participation by way of equity or control, to carry out any function entrusted to a Municipality under article 243 W of the Constitution or to a Panchayat under article 243 G of the Constitution.

(*vii*) "Government Entity" means an authority or a board or any other body including a society, trust, corporation,

i) set up by an Act of Parliament or State Legislature; or

ii) established by any Government,

with 90 percent or more participation by way of equity or control, to carry out a function entrusted by the Central Government, State Government, Union Territory or a local authority.".

2. This notification shall deemed to come into force from 13th day of October, 2017.

अधिसूचना

23 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 986/2017/9(120)/XXVII(8)/2017—चूँकि, राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग-8 की अधिसूचना संख्या 530/2017/9(120)/ XXVII(8)/ 2017 दिनांक 29 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात-

1. सरणी में,-

(i) (क) क्रम सं0 5 में, कालम (3) में शब्दों "सरकारी प्राधिकरण" के स्थान पर "केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण या सरकारी प्राधिकरण" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) क्रम सं0 9ख और उससे सम्बंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित को अन्तः स्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"9ग	अध्याय 99	केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र या स्थानीय निकाय, जैसी भी स्थिति हो, से अनुदान के रूप में प्राप्त प्रतिफल के एवज में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र, स्थानीय निकाय ऐसे किसी व्यक्ति, जिसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र या स्थानीय निकाय द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो, को किसी सरकारी निकाय द्वारा की जाने वाली सेवा की आपूर्ति।	कुछ नहीं	कुछ नहीं";

(ग) क्रम सं0 21 और उससे सम्बंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित को अन्तः स्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"21क	शीर्ष 9965 या शीर्ष 9967	किसी माल परिवहन एजेंसी द्वारा किसी गैर पंजीकृत व्यक्ति, जिसमें गैर पंजीकृत नैमित्तिक कर-योग्य व्यक्ति भी आते हैं, और निम्नलिखित व्यक्तियों से भिन्न, के द्वारा प्रदान की गयी सेवाएँ:- (क) फैक्टरी एक्ट, 1948 (1948 का 63) के अंतर्गत पंजीकृत या उसके द्वारा अधिशासित कोई कारखाना; या (ख) सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 (1860 का 12) के अंतर्गत या तत्समय भारत के किसी भाग में प्रचलित किसी कानून के अंतर्गत पंजीकृत कोई सोसाइटी; (ग) किसी कानून के द्वारा या उसके अंतर्गत स्थापित कोई को-आपरेटिव सोसाइटी; या (घ) किसी कानून के द्वारा या उसके अंतर्गत स्थापित कोई बॉडी-कॉर्पोरेट; या	कुछ नहीं	कुछ नहीं";

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		(ङ) कोई भी पार्टनरशिप फ़र्म चाहे वह किसी कानून के अंतर्गत पंजीकृत हो या नहीं, इसमें व्यक्तियों के संघ भी आते हैं; (च) कोई भी नैमित्तिक कर-योग्य व्यक्ति जो केंद्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम या एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम या राज्य माल एवं सेवाकर अधिनियम या संघ राज्य क्षेत्र माल एवं सेवाकर अधिनियम में पंजीकृत हो।		

(घ) क्रम सं0 23 और उससे सम्बंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित को अन्तः स्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"23क	शीर्ष 9967	किसी वार्षिक वृत्ति के भुगतान के एवज में किसी सड़क या किसी पुल तक पहुँच प्रदान करने वाली सेवा।	कुछ नहीं	कुछ नहीं";

(ङ) क्रम सं0 41 में, कालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"औद्योगिक भू-खण्ड या ऐसे भू-खण्ड जो वित्तीय-व्यापार की अव-संरचनाओं के विकास के लिए हों तथा (क) किसी औद्योगिक इकाई या (ख) औद्योगिक या वित्तीय व्यापारिक क्षेत्र के किसी डेवलपर को, तथा राज्य सरकार ~~औद्योगिक विकास निगम / प्रतिष्ठान या ऐसे किसी निकाय द्वारा दीर्घ कालीन अवधि~~ (तीन वर्ष या इससे अधिक) के लिए पट्टे पर दिये गए हों जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, का स्वामित्व 50% या इससे अधिक हों, तो ऐसी सेवा के बारे में भुगतान किए जाने वाली अग्रिम (upfront) राशि, (जिसे प्रीमियम, सलामी, लागत, विकास खर्च या आय किसी भी नाम से जाना जाता हो)"

(ii) पैराग्राफ 2 में, उप-वाक्य (यच) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:–

~~"(यच) "सरकारी प्राधिकरण" से अभिप्राय किसी ऐसे प्राधिकरण या बोर्ड या अन्य किसी निकाय से है जिसका गठन,-~~

(i) संसद या राज्य विधान मण्डल के किसी अधिनियम, या

(ii) किसी सरकार द्वारा,

किया गया हो और जिसमें साम्या या नियंत्रण के माध्यम से 90% या इससे अधिक की भागीदारी हो, और जिसका काम संविधान के अनुच्छेद 243 ब के अंतर्गत नगर निगम को या संविधान के अनुच्छेद 243 छ के अंतर्गत किसी पंचायत को सौंपे गए कार्यों को निष्पादित करना है ।

(iii) पैराग्राफ 2 में, उप-वाक्य (यच) के पश्चात् निम्नलिखित को अन्तःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

~~(यचक) "सरकारी निकाय" से अभिप्राय किसी ऐसे प्राधिकरण या बोर्ड या अन्य किसी निकाय (जिसमें सोसाइटी, ट्रस्ट, निगम भी आते हैं) से है जिसका गठन,-~~

~~(i) संसद या राज्य विधान मण्डल के किसी अधिनियम; या~~

~~(ii) किसी सरकार द्वारा,~~

~~किया गया हो और जिसमें साम्या या नियंत्रण के माध्यम से 90% या इससे अधिक की भागीदारी हो, और जिसका काम केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण के द्वारा सौंपे गए कार्यों को निष्पादित करना है।"~~

2. यह अधिसूचना दिनांक 13 अक्टूबर, 2017 से प्रवृत्त समझी जाएगी।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the **Notification No. 986/2017/9(120)/ XXVII(8)/2017,** Dehradun, dated November 23, 2017 for general information:

NOTIFICATION

November 23, 2017

No. 986/2017/9(120)/XXVII(8)/2017--WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017), on the recommendations of the Council, the Governor is pleased to allow to make the following amendments in the notification of the Government of Uttarakhand, Finance Section-8, No. 530/2017/9(120)/ XXVII(8)/2017 Dated 29 June, 2017, namely:-

1. in the Table, -

(i) (a) in serial number 5, in column (3), for the words "governmental authority" the words "Central Government, State Government, Union territory, local authority or Governmental Authority" shall be substituted;

(b) after serial number 9B and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"9C	Chapter 99	Supply of service by a Government Entity to Central Government, State Government, Union territory, local authority or any person specified by Central Government, State Government, Union territory or local authority against consideration received from Central Government, State Government, Union territory or local authority, in the form of grants.	Nil	Nil" ;

(c) after serial number 21 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"21A	Heading 9965 or Heading 9967	Services provided by a goods transport agency to an unregistered person, including an unregistered casual taxable person, other than the following recipients, namely: - (a) any factory registered under or governed by the Factories Act, 1948(63 of 1948); or (b) any Society registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860) or under any other law for the time being in force in any part of India; or (c) any Co-operative Society established by or under any law for the time being in force; or	Nil	Nil" ;

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		(d) any body corporate established, by or under any law for the time being in force; or (e) any partnership firm whether registered or not under any law including association of persons; (f) any casual taxable person registered under the Central Goods and Services Tax Act or the Integrated Goods and Services Tax Act or the State Goods and Services Tax Act or the Union Territory Goods and Services Tax Act.		

(d) after serial number 23 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"23A	Heading 9967	Service by way of access to a road or a bridge on payment of annuity.	Nil	Nil" ;

(e) in serial number 41, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely: -

"Upfront amount (called as premium, salami, cost, price, development charges or by any other name) payable in respect of service by way of granting of long term lease of thirty years, or more) of industrial plots or plots for development of infrastructure for financial business, provided by the State Government Industrial Development Corporations or Undertakings or by any other entity having 50 percent or more ownership of Central Government, State Government, Union territory to the industrial units or the developers in any industrial or financial business area.";

(ii) in paragraph 2, for clause (zf), the following shall be substituted, namely: -

"(zf) "Governmental Authority" means an authority or a board or any other body, -
(i) set up by an Act of Parliament or a State Legislature; or
(ii) established by any Government,
with 90 percent or more participation by way of equity or control, to carry out any function entrusted to a Municipality under article 243 W of the Constitution or to a Panchayat under article 243 G of the Constitution.

(iii) in paragraph 2, after clause (zf), the following shall be inserted, namely: -

(zfa) "Government Entity" means an authority or a board or any other body including a society, trust, corporation,
(i) set up by an Act of Parliament or State Legislature; or
(ii) established by any Government,
with 90 percent or more participation by way of equity or control, to carry out a function entrusted by the Central Government, State Government, Union Territory or a local authority.".

2. This notification shall deemed to come into force from 13th day of October, 2017.

अधिसूचना

23 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 987 / 2017 / 9(120) / XXVII(8) / 2017—चूँकि, राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 9 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग-8 की अधिसूचना संख्या 526/2017/9(120)/ XXVII(8)/2017 दिनांक 29 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात् –

1. उक्त अधिसूचना में,

(i) सारणी में, क्रम सं० 9 और उससे सम्बंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित को अन्त स्थापित किया जाएगा, यथा,-

"10	भारतीय रिजर्व बैंक की ओवेरसीइंग कमेटी के सदस्यों द्वारा सेवाओं की आपूर्ति	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित ओवेरसीइंग कमेटी के सदस्य	भारतीय रिजर्व बैंक"

2. यह अधिसूचना दिनांक 13 अक्टूबर, 2017 से प्रवृत्त समझी जाएगी।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the **Notification No. 987/2017/9(120)/ XXVII(8)/2017,** Dehradun, dated November 23, 2017 for general information:

NOTIFICATION

November 23, 2017

No. 987/2017/9(120)/XXVII(8)/2017--WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017), on the recommendations of the Council, the Governor is pleased to allow to make the following amendment in the notification of the Government of Uttarakhand, Finance Section-8, No. 526/2017/9(120)/ XXVII(8)/2017 Dated 29 June, 2017, namely:-

1. In the said notification,-

(i) in the Table, after serial number 9 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

"10-	Supply of services by the members of Overseeing Committee to Reserve Bank of India	Members of Overseeing Committee constituted by the Reserve Bank of India	Reserve Bank of India.".

2. This notification shall deemed to come into force from 13th day of October, 2017.

अधिसूचना

23 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 988/2017/9(120)/XXVII(8)/2017–उत्तराखण्ड माल एवं सेवा कर (कठिनाई निवारण) आदेश, 2017–

जहाँ कि उत्तराखण्ड माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06), जिसे एतद्पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है, के प्रावधानों को लागू करने में कठिनाई आई है, जहां तक की इसका संबंध उक्त अधिनियम की धारा 10 के प्रावधानों से है;

अतः अब उत्तराखण्ड माल एवं सेवाकर अधिनियम की धारा 172 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, परिषद् की सिफारिश पर, निम्नलिखित आदेश करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, यथा

1. इस आदेश को उत्तराखण्ड माल एवं सेवाकर (कठिनाई निवारण) आदेश, 2017 कहा जाएगा।

2. कठिनाइयों के निवारण के लिए,-

(i) एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी माल और/या उक्त अधिनियम की अनुसूची II के पैराग्राफ 6 के उप-वाक्य (ख) में संदर्भित सेवाओं की आपूर्ति करता है और ऐसी कोई छूट प्राप्त सेवाओं की भी आपूर्ति करता है, जिनमें वे सेवाएं भी आती हैं जोकि जमा, ऋण या अग्रिम के माध्यम से दी जाती हैं, जहां तक ब्याज या छूट (डिस्काउंट) के माध्यम से प्रतिफल को व्यक्त किया जाता है, तो ऐसा व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत कम्पोजिसन स्कीम का तब तक अपात्र नहीं होगा जब तक की इसमें विनिर्दिष्ट अन्य सभी शर्तें पूरी न होती हों।

(ii) अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जाता है कि कम्पोजिसन स्कीम के लिए उसकी पात्रता का निर्धारण करने में उसके सकल कारोबार की गणना करने में किसी छूट प्राप्त सेवा की आपूर्ति के मूल्य को, जिसमें वे सेवाएं भी आती हों जोकि जमा, ऋण या अग्रिम के माध्यम से दी जाती हैं जहां तक इसके प्रतिफल की अभिव्यक्ति ब्याज या छूट (डिस्काउंट) के माध्यम से हुआ हो, शामिल नहीं किया जाएगा।

आज्ञा से,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the **Notification No. 988/2017/9(120)/XXVII(8)/2017**, Dehradun, dated November 23, 2017 for general information:

NOTIFICATION

November 23, 2017

No. 988/2017/9(120)/XXVII(8)/2017--The Uttarakhand Goods and Services Tax (Removal of Difficulties) Order, 2017--

Whereas, certain difficulties have arisen in giving effect to the provisions of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017), hereinafter in this order referred to as the said Act, in so far as it relates to the provisions of section 10 of the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 172 of the said Act, on recommendations of the Council, the Governor is pleased to allow to make the following Order, namely:-

1. This Order may be called the Uttarakhand Goods and Services Tax (Removal of Difficulties) Order, 2017.

2. For the removal of difficulties,-

(i) it is hereby clarified that if a person supplies goods and/or services referred to in clause (b) of paragraph 6 of Schedule II of the said Act and also supplies any exempt services including services by way of extending deposits, loans or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount, the said person shall not be ineligible for the composition scheme under section 10 subject to the fulfilment of all other conditions specified therein.

(ii) it is further clarified that in computing his aggregate turnover in order to determine his eligibility for composition scheme, value of supply of any exempt services including services by way of extending deposits, loans or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount, shall not be taken into account.

By Order,

RADHA RATURI,

Principal Secretary.

विपिन चन्द्र,

एडिशनल कमिश्नर राज्य कर,

मुख्यालय, देहरादून।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 51 हिन्दी गजट/805–भाग 1–क–2017 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 23 दिसम्बर, 2017 ई0 (पौष 02, 1939 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

सूचना

धार्मिक कारणों से मैंने अपना नाम कलावती भट्ट से बदलकर कला भट्ट कर लिया है, भविष्य में इसी नाम से जाना जाये।

कला भट्ट पुत्री के0 डी0 भट्ट,
8, विरखम, पो0 विरखम,
जैती, अल्मोड़ा।

सूचना

My name **'Shamurailatpam Bem Bem Devi'** has mentioned in all my educational documents. After my marriage with Dr. Deepak Kumar, I have changed my name as **'NISHI MANCHANDA'** for all future purposeses.

All known fomalities have been completed by me.

NISHI MANCHANDA,
Wife of Dr. Deepak Kumar,
R/O Vill. Mahaveer Nagar
P.O. Adarsh Nagar
Teh. Gadarpur,
Distt. U.S. Nagar (Uttarakhand).

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 51 हिन्दी गजट / 805–भाग 8–2017 (कम्प्यूटर / रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।
169–ट